छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1034/2005

याचिकाकर्तागण

1. अजय मिश्रा, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता श्रीनाथ मिश्रा, निवासी वार्ड क्रमांक 45, इमलीभाटा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
2. मीना श्रीवास्तव, उम्र लगभग 36 वर्ष, पति श्री अशोक श्रीवास्तव, वार्ड नं. 45, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
3. देवचरण मांडले, उम्र करीब 33 वर्ष, पिता श्री छोटेलाल, निवासी सोढ़ी मर्हाडी, जिला.बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
4. मनोज कुमार धुरी, उम्र करीब 29 वर्ष, पिता श्री गुरुप्रसाद, निवासी ग्राम अमोरा, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
5. मोहन जायसवाल, उम्र लगभग 35 वर्ष पिता श्री भगेला राम, निवासी ठाकुरी कापा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
6. नीटू राम साहू, उम्र लगभग 25 वर्ष पिता श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी करूपान, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
7. रविन्दु जायसी, उम्र लगभग 26 वर्ष पिता श्री राजभान प्रसाद, निवासी पेंड्री, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
8. राजभान प्रसाद, उम्र लगभग 55 वर्ष पिता श्री दउवा राम, निवासी डंगनियां, जिला.
9. प्रेमा सोनी, उम्र लगभग 32 वर्ष, पति श्री संतोष सोनी, निवासी वार्ड क्रमांक 53, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
10. राजेंद्र कुमार वर्मा, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता श्री घुंडू रारा, निवासी ग्राम तेकर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
11. रवीन्द्र कुमार वर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता श्री नारायण वर्मा, निवासी ग्राम धौरामुड़ा, खदरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. कुमारी लक्ष्मी सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता श्री सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम लिंगियाडीह, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
13. लालजी साहू, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता श्री रामगोपाल, निवासी ग्राम बहतराई, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
14. यूनुश खान, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता श्री शेर खान, निवासी ग्राम पटायेडीह, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
15. मनराखन लाल साहू, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता श्री दशरथ साहू, निवासी ग्राम कोकड़ी, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
16. देवानन्द यादव, उम्र लगभग 34 वर्ष पिता श्री लतेल राम, निवासी ग्राम चोरहादेवरी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
17. छत्रपाल सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष पिता श्री चरण सिंह, निवासी ग्राम-धबहा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
18. तुलेश्वर कश्यप, उम्र लगभग 32 वर्ष पिता श्री सुकदेव कश्यप, निवासी ग्राम खैरा (डंगानियां), जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
19. शिव कुमार यादव, उम्र लगभग 31 वर्ष पिता श्री पुन्नूलाल, निवासी वार्ड क्रमांक 44, बिलासपुर (छत्तीसगढ़).
20. राजेंद्र कुमार बर्मन, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता श्री प्यारेलाल, निवासी ग्राम रणकापा (लाता), जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
21. श्रीराम भास्कर, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता श्री देवाराम, निवासी ग्राम मानपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
22. राजकुमार देवांगन, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता श्री गणेश प्रसाद, निवासी तिलक नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
23. संतोष कुमार साहू, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता श्री रमन, निवासी ठाकुरदेव नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
24. बेदराम रात्रे, उम्र लगभग 32 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पिता श्री टी.आर. रात्रे, निवासी भटुली,
जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

25. रमेश कुमार वस्त्रकार, उम्र लगभग 30 वर्ष,
पिता श्री सालिकराम निवासी पाराघाट, जिला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

26. त्रिलोकी वर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष
पिता श्री बाबूलाल निवासी ग्राम जलसो,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

27. जगदीश कश्यप, उम्र लगभग 33 वर्ष
पिता श्री भुखऊ राम, निवासी ग्राम खुर्सी,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

28. माणिकलाल सोनवानी, उम्र लगभग 40 वर्ष
पिता श्री मजरू, निवासी ग्राम दाबो मुंगेली,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

29. राजेश कुमार कश्यप, उम्र लगभग 30 वर्ष,
पिता श्री भागवत प्रसाद कश्यप, निवासी
ग्राम छतौना, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

30. मधु प्रसाद साहू, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता
श्री भागीराम साहू, निवासी ग्राम कुनवां,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

31. रामभरोश यादव, उम्र लगभग 29 वर्ष
पिता श्री बलिराम यादव, निवासी ग्राम
देवग्राम, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

32. धन सिंह दिनदौर, उम्र लगभग 30 वर्ष
पिता श्री लखन लाल, निवासी ग्राम - सीधी,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

33. शत्रुहन लाल सोनकर, उम्र लगभग 29 वर्ष
पिता श्री टेटकू राम, निवासी ग्राम नवाग्राम,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

34. जलेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 30 वर्ष
पिता श्री राम दास, निवासी ग्राम-गोयेन्द्र,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

35. परसादी सिंह राजपूत, उम्र लगभग 45 वर्ष,
पिता श्री मायाराम सिंह, निवासी ग्राम
छरभाठा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

36. गुजराल सोनी, उम्र लगभग 37 वर्ष,
पिता श्री शम्भू, निवासी ग्राम दांतग्राम,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

37. बजरंग सिंह ठाकुर, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता श्री पेखन सिंह, निवासी ग्राम हथनी कला, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
38. दुर्गा चरण नायक, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता श्री रेवती कुमार, निवासी ग्राम सुकुलकारी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
39. वेंकट रमन जांगड़े, उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता श्री फागुराम, निवासी ग्राम दामापुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
40. चन्द्र प्रकाश कुर्रे, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता श्री द्वारिका प्रसाद, निवासी ग्राम पचपेड़ी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
41. बिहारी लाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता श्री तुलसीराम, निवासी ग्राम - केसकीकला, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
42. उमे शंकर मधुकर, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता श्री रामाधार, निवासी ग्राम- मनवा मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
43. शेख अफ़ज़ल, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता श्री शेख नौशाद, निवासी भटचौरा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
44. रामू लाल गोंड, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता श्री कालेश्वर, निवासी ग्राम बुढ़ीखाड़, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
45. संतोष बंजारे, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता श्री गोवर्धन प्रसाद, निवासी ग्राम चक्रबेदाहा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
46. सरजू यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता श्री त्रिभुवन यादव, निवासी धनगवां, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
47. दुखुराम साहू, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता श्री बच्चूराम साहू, निवासी ग्राम-पटैता, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
48. कुरेन्द्र प्रताप साहू, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता श्री रामलाल, निवासी ग्राम खैरझीठी, कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. देवीराम यादव, उम्र लगभग 55 वर्ष,
पिता श्री राजाराम, निवासी ग्राम चांगोरी,
कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
50. मोतीराम साहू, उम्र लगभग 50 वर्ष,
पिता श्री सहादुर साहू, निवासी ग्राम -
लिटिया, कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
51. रामेश्वर, उम्र लगभग 29 वर्ष,
पिता श्री ढेलऊ राम, निवासी ग्राम दौनपुर,
कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
52. अखिलेश्वर कुमार, उम्र लगभग 28 वर्ष,
पिता श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम झिंगटपुर,
कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
53. आर.डी. गुप्ता, उम्र लगभग 38 वर्ष,
पिता श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम
कलारतारयी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
54. मान सिंह कंवर, उम्र लगभग 34 वर्ष,
पिता श्री अवधराम, निवासी ग्राम बिलिबंद,
कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
55. शंकर लाल यादव, उम्र लगभग 23 वर्ष,
पिता श्री मालिक राम यादव, निवासी ग्राम
छेरकाबांधा, कोटा, जिला बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)
56. राम. खिलावन यादव, उम्र 39 वर्ष,
पिता श्री धमरू राम, निवासी ग्राम - धनरास,
कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
57. लोकपाल जायसवाल, उम्र लगभग 24 वर्ष,
पिता श्री राम बहोरी, निवासी ग्राम -
भैंसाझार, कोटा, जिला बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)
58. शिव लाल जायसवाल, उम्र लगभग 43 वर्ष,
पिता श्री जनक राम, निवासी ग्राम नवाग्राम,
सलका, कोटा, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
59. तिलेशर नायक, उम्र लगभग 43 वर्ष,
पिता श्री लखराम, निवासी ग्राम सलका,
कोटा, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
60. शैलेन्द्र गुप्ता, उम्र लगभग 28 वर्ष,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पिता श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, निवासी ग्राम-
रंक, मस्तूरी, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

61. श्रीमती सरस्वती देवी गुप्ता, उम्र लगभग 47 वर्ष, पति श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, निवासी ग्राम-विष्णु नगर, वार्ड नंबर 2, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
62. हीरानंद साहू, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता श्री कुलेश्वर प्रसाद साहू, निवासी धरमपुरा, तह. मुंगेली, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
63. रामशरण राजपूत, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता श्री सुखराम राजपूत, निवासी ग्राम झलियापुर, तह. मुंगेली, जिला. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:
   प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. कलेक्टर, (खाद्य)
   बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
3. खाद्य अधिकारी,
   बिलासपुर, जिला बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत परमादेश/उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में उपयुक्त रिट या समान प्रकृति में निर्देश/आदेश आदि जारी करने के लिए रिट याचिका

प्रति,

माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके माननीय साथी न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)

आपके मान्यवरों को यह कृपया स्वीकार हो

उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं की विनम्र याचिका, सबसे आदरपूर्वक प्रस्तुत करता है :-

याचिका का विवरण

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ: बिलासपुर
(खण्ड न्यायपीठ)

कोरम: माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 445/2005

रिट याचिका क्र. 578/2005

रिट याचिका क्र.1034/2005

रिट याचिका क्र.1558/2005

रिट याचिका क्र.1518/2005

रिट याचिका क्र.2150/2005

रिट याचिका क्र.2316/2005

रिट याचिका क्र.1397/2005

रिट याचिका क्र.2600/2005

विचारार्थ हेतु आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

आदेश हेतु नियत: 06/09/2005

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़: बिलासपुर
(खण्ड न्यायपीठ)

कोरम: माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 445/2005
रघुवीर सिंह गोंड
बनाम
भारत संघ और अन्य

रिट याचिका क्र. 578/2005
अंबिका प्रसाद राजवाड़े और अन्य
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका क्र.1034/2005
अजय मिश्रा और अन्य
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र.1558/2005
रामनारायण मार्कण्डेय और अन्य
बनाम
भारत संघ और अन्य

रिट याचिका क्र.1518/2005
कपिल देव और अन्य
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका क्र.2150/2005
तुलसी राम और अन्य
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका क्र.2316/2005
नैन दास गायकवाड़ और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

रिट याचिका क्र.1397/2005

महामाया स्वयत्त सहकारिता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका क्र.2600/2005

बस्तर जिला थोक उपभोक्ता भंडार मर्यादित

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थित: श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री राहुल झा, श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री शशिभूषण, श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री अली असगर, श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अमृतो दास, श्री राजेश पांडे, श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री यशवंत तिवारी और श्री सुधीर वर्मा, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता

ठाकुर विजय सिंह, भारत संघ की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल

श्री प्रशांत मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(6 सितंबर, 2005 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये सभी रिट याचिकाएं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 से संबंधित हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बनाई गई थीं, जिन पर समान रूप से सुनवाई की गई और इस सामान्य आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने या उचित मूल्य पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। केन्द्रीय सरकार ने खाद्य पदार्थों के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के तहत 9 जून, 1978 के आदेश द्वारा राज्य सरकारों को यह शक्ति

प्रत्यायोजित की थी, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन थी। 23 जून, 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत ऐसी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण योजना, 2001 बनाई। उक्त योजना 2001 के अनुसरण में, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के साथ करार किए और छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में लाइसेंस भी जारी किए। 31 अगस्त, 2001 को केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 बनाया, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों द्वारा खाद्यान्नों के वितरण का प्रावधान किया गया तथा इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं के विक्रय एवं वितरण को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत आदेश जारी करेगी तथा उचित मूल्य की दुकान के मालिकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते हुए उक्त आदेश के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान के मालिकों को लाइसेंस जारी करेगी। तदनुसार, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 23 दिसम्बर, 2004 को अधिसूचना जारी कर नया आदेश जारी किया, जिसे छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 (संक्षेप में "आदेश 2004") कहा गया। आदेश 2004 की धारा 9 (1) छत्तीसगढ़ राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के संबंध में प्रावधान करती है, जिसका सार इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन

(1) वृहद आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (LAMPS), प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों, वन सुरक्षा समितियों, स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों और अन्य सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें जारी रहेंगी, लेकिन निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं होंगी। इस आदेश के लागू होने के छह माह के भीतर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें रद्द कर दी जाएंगी और नियम 9 के उपनियम (3) और (4) में उल्लिखित निर्दिष्ट एजेंसियों को आवंटित कर दी जाएंगी।"

उपरोक्त उद्धृत आदेश 2004 के खंड 9(1) के प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव है और उचित मूल्य की दुकानों को उक्त आदेश 2004 में निर्दिष्ट एजेंसियों को आवंटित करने का प्रस्ताव है। व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने आदेश 2004 के प्रावधानों और/या उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव करने वाले अधिकारियों के आदेशों को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है।

3. श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री अली असगर, रिट याचिका क्र. 445/2005 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक निजी व्यक्ति है और याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के बीच उचित मूल्य की दुकान के संबंध में करार, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चलाया जा रहा है, खंड (15) में प्रावधान किया गया है कि करार केवल याचिकाकर्ता द्वारा करार की शर्तों के उल्लंघन के लिए समाप्त किया जा सकता

है और इसलिए याचिकाकर्ता को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन और उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए याचिकाकर्ता का लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि याचिकाकर्ता ने करार का कुछ उल्लंघन किया है। उन्होंने दलील दी कि हालांकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने करार का कोई उल्लंघन किया है, लेकिन अधिकारी अब याचिकाकर्ता को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन रद्द करने के साथ-साथ आदेश 2004 के तहत याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस भी रद्द करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने दलील दी कि आदेश 2004 के खंड 9(1) के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए याचिकाकर्ता का आवंटन और लाइसेंस दोनों रद्द करना होगा।

4. हमारा यह विचार है कि उचित मूल्य की दुकान को रद्द करना याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के बीच उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए हुए करार के खंड (15) के अंतर्गत नहीं बल्कि कानून में आए बदलाव के कारण किया जाना है। आदेश 2004 अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बनाया गया एक वैधानिक आदेश है और आदेश 2004 के खंड 9 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि आदेश के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें रद्द कर दी जाएंगी और आदेश में उल्लिखित निर्दिष्ट एजेंसियों को आवंटित कर दी जाएंगी। अतः याचिकाकर्ता जो एक निजी व्यक्ति था, की उचित मूल्य की दुकान को निरस्त करना आदेश 2004 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के आधार पर किया जाना था। दूसरे शब्दों में, यह याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के बीच उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए किए गए करार के बाद कानून में परिवर्तन हुआ जिसके कारण करार को निरस्त किया जाना है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1870 की धारा 56 में यह प्रावधान है कि कोई संविदा ऐसा कार्य करती है जो, संविदा किए जाने के पश्चात, असंभव हो जाता है या किसी घटना के कारण, जिसे वचनदाता रोक नहीं सकता था, विधि विरुद्ध हो जाता है, जब कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाता है तो वह शून्य हो जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के बीच अनुबंध, जहां तक वह याचिकाकर्ता द्वारा उचित मूल्य की दुकान चलाने का प्रावधान करता है, जो एक निजी व्यक्ति है, आदेश 2004 के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद विधि विरुद्ध हो जाएगा और इसलिए, शून्य हो जाएगा और इसे रद्द करना होगा। इस प्रकार यह करार के उल्लंघन के लिए उचित मूल्य की दुकान को रद्द करने का मामला नहीं है, बल्कि कानून में बदलाव के कारण याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान को रद्द करने का मामला है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जायसवाल ने आगे कहा कि आदेश 2004 विभेदकारी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल सहकारी समितियों जैसी एजेंसियों को ही उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति होगी, जैसा कि आदेश 2004 में निर्दिष्ट है। उन्होंने **रमनलाल नागरदास और अन्य बनाम एम.एस. पलनीटकर और अन्य, ए.आई.आर 1961 गुजरात 38** में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया है कि अन्य लाइसेंस धारकों को बाहर करके सहकारी समितियों को थोक वितरण सौंपने का राज्य का निर्णय भेदभाव के बराबर है और वर्गीकरण के किसी भी उचित सिद्धांत के अंतर्गत न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखने और सहकारी समितियों और आदेश 2004 में निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानें सौंपने के लिए दायर विवरणी में दिया गया एकमात्र कारण यह है कि निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कदाचार और अनियमितताओं की कुछ शिकायतें छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि विवरणी में संलग्न विवरण अनुलग्नक-आर/1 से पता चलता है कि वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में उचित मूल्य की दुकानें चलाने वाली सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखने और साथ ही साथ उचित मूल्य की दुकानें चलाने का कोई औचित्य नहीं था। आदेश 2004 में निर्दिष्ट सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति देने के लिए समय दिया गया है। उन्होंने **रमनलाल नागरदास और अन्य बनाम एम.एस. पलनीटकर और अन्य (पूर्विक्त)** में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि व्यक्तियों और सहकारी समितियों का वर्गीकरण और केवल व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।

6. श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतो दास रिट याचिका क्रमांक 578/2005 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए, ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा विवरणी के साथ संलग्न अनुलग्नक-आर/1 में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 में दर्ज किए गए कदाचार और अनियमितताओं के मामलों की संख्या के संबंध में दिए गए आंकड़े भ्रामक हैं, क्योंकि ये आंकड़े यह नहीं बताते कि इन तीन वर्षों के दौरान कितने निजी व्यक्ति उचित मूल्य की दुकानें चला रहे हैं और सहकारी समितियों की संख्या कितनी है जो इन तीन वर्षों के दौरान उचित मूल्य की दुकानें चला रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों की संख्या सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों की संख्या से बहुत अधिक है और इसलिए निजी व्यक्तियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानें चलाने के मामले में शिकायतों की संख्या सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानें चलाने के खिलाफ शिकायतों की संख्या से संख्यात्मक रूप से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य ने विवरणी में यह संकेत नहीं दिया है कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई थी या नहीं और यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि इसलिए न्यायालय को उत्तरवादी/राज्य द्वारा विवरणी के साथ संलग्न अनुलग्नक-आर/1 में दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका क्रमांक 1034/2005 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय ने उपरोक्त तर्क को दोहराया कि आदेश 2004 द्वारा निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर करना विभेदकारी है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने दलील दी कि संविधान की प्रस्तावना में दर्शाए गए उद्देश्यों में से एक भारत के लोगों के लिए सामाजिक न्याय है तथा आदेश 2004 द्वारा निजी व्यक्तियों को सहकारी समितियों तथा आदेश 2004 में निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों से अलग वर्गीकृत करने वाला वर्गीकरण संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय के इस उद्देश्य के अनुरूप नहीं है इसलिए तर्कहीन है तथा आदेश 2004 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत कानूनों के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए। इस दलील के समर्थन में उन्होंने **आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर 1986 एस.सी 859** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया है कि विधानमंडल द्वारा कानून में अपनाया गया वर्गीकरण जो प्रस्तावना में निर्धारित समाजवादी लक्ष्य और संविधान के भाग-4 में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, वह अपने आप में अवैध है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने **एलआईसी ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर एवं अन्य, ए.आई.आर 1995 एस.सी 1811** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में निजी व्यक्तियों को आदेश 2004 द्वारा उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखा गया है और इस प्रकार उन्हें उनकी आजीविका के एकमात्र साधन से वंचित किया गया है और निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए इस तरह से बाहर रखना संविधान में सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ असंगत है और इस प्रकार आदेश 2004 व्यक्तिगत निजी व्यक्तियों के प्रति विभेदकारी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. रिट याचिका क्रमांक 1558/2005 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने भी यह दलील दोहराई कि आदेश 2004 में निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखने का प्रावधान विभेदकारी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने दलील दी कि यह वर्गीकरण न केवल अयुक्तियुक्त है बल्कि अनुचित भी है और इसका अधिनियम की धारा 3 (1) के उद्देश्य अर्थात उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का समान तरीके से वितरण से कोई संबंध नहीं है।

9. श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राहुल झा की सहायता से, याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका क्रमांक 1518/2005 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उचित मूल्य की दुकानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण की योजना में सहकारी समितियों को वरीयता दी जा सकती है, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान होना चाहिए कि जहां किसी क्षेत्र में सहकारी समितियां उपलब्ध नहीं हैं, वहां निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति दी जा सकती है या जहां किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध उपभोक्ता सहकारी समिति उचित मूल्य की दुकान चलाने से इनकार करता है, वहां उस क्षेत्र के निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान चलाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि म.प्र. राशन विक्रेता संघ, जबलपुर एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य

एवं अन्य, ए.आई.आर 1981 एमपी 203, वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना के खंड 2 में यह प्रावधान था कि उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए एजेंटों की नियुक्ति के मामले में सहकारी समितियों को वरीयता दी जाएगी, को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और खंडपीठ ने विद्वान महाधिवक्ता की इस रियायत पर ध्यान देने के बाद कि खंड 2 में सहकारी समितियों का अर्थ केवल उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं, यह माना कि यह योजना उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए एजेंटों की नियुक्ति के मामले में उपभोक्ता समितियों को वरीयता देने का प्रयास करती है और यह केवल तभी है जब ऐसी समितियां एजेंट के रूप में नियुक्ति को स्वीकार करने से इनकार करती हैं, तब अन्य को नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। उन्होंने **मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसायटी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर 1981 एस.सी 2001** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि खाद्य सामग्री के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को दी गई वरीयता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए निजी व्यक्तियों को पूरी तरह से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. रिट याचिका क्रमांक 2150/2005 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि कितने निजी व्यक्तियों ने वास्तव में गलत व्यवहार किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकांश सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं और इसलिए यदि छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी समितियों को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य सौंपा जाता है, तो वे उक्त कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएंगी। उन्होंने तर्क दिया कि उचित मूल्य की दुकानों के व्यवसाय को चलाने से व्यक्तियों को पूरी तरह से बाहर करना विभेदकारी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह व्यक्तियों के समानता के अधिकार को प्रभावित करता है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका क्रमांक 2316/2005 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर वर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि जिन निजी व्यक्तियों ने उचित मूल्य की दुकानों का व्यवसाय करते समय गलत आचरण किया है, उन्होंने अब नई सहकारी समितियां गठित कर ली हैं तथा उन्हें आदेश 2004 के खण्ड (9) के इस प्रावधान से बहुत लाभ होगा कि निजी व्यक्तियों के स्थान पर सहकारी समितियों सहित निर्दिष्ट एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेश 2004 के खंड (9) द्वारा निजी व्यक्तियों और सहकारी समितियों तथा आदेश 2004 में निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों के बीच किया गया वर्गीकरण अनुचित है, क्योंकि इस तरह के वर्गीकरण के सुबोध अंतर और आदेश 2004 द्वारा उचित मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के उद्देश्य के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। श्री वर्मा ने कहा कि इसलिए व्यक्तिगत निजी व्यक्तियों का बहिष्कार मनमाना, विभेदकारी और

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने **ओंकार लाल बजाज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2003) 2 एस.सीसी 673** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया कि अनुच्छेद 14 सभी को कानून में समानता की गारंटी देता है और कार्यकारी शक्तियों के मनमाने प्रयोग को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

12.दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित श्री प्रशांत मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सह श्री सुमेश बजाज, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने रिट याचिका क्रमांक 445/2005 में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि नवम्बर, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व मध्य प्रदेश सार्वजनिक नागरिक वितरण योजना, 1991 लागू थी, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर सार्वजनिक वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जा रही थीं, लेकिन वर्ष 2001 में जब राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया, तो पाया कि वित्तीय बाधाओं के कारण सहकारी समितियां अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें चलाने की स्थिति में नहीं थीं, इसलिए योजना 2001 में निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने का प्रावधान किया गया और ऐसे निजी व्यक्तियों को खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री की अनुशंसा पर खाद्य निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित किए जाने के बाद, हालांकि, उचित मूल्य की दुकानें चलाने वाले ऐसे निजी व्यक्तियों द्वारा गलत व्यवहार किए जाने की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने जवाब दावा के साथ संलग्न अनुलग्नक-आर/1 का हवाला देते हुए वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या दर्शाई। उन्होंने आगे बताया कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर जनहित याचिका (सिविल) क्रमांक 196/2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2001, 8 मई 2002 और 2 मई 2003 को कुछ आदेश भी पारित किए थे। उन्होंने कहा कि 2 मई 2003 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत पात्र बीपीएल परिवारों को, जो बीपीएल सूची में नहीं हैं, खाद्यान्न की आपूर्ति की जाए और उन लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएं जो पूरे महीने अपनी दुकानें खुली नहीं रखते, बीपीएल परिवारों को बीपीएल दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते, बीपीएल परिवारों के कार्ड अपने पास रखते हैं, बीपीएल कार्ड में गलत प्रविष्टियां करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, खाद्यान्न को खुले बाजार में ले जाते हैं या ऐसी राशन दुकानों को ऐसे अन्य व्यक्ति/संगठनों को सौंप देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व है कि वह गरीब व्यक्तियों को कुपोषण और भूख से बचाए और उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करे और चूंकि राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि उचित मूल्य की दुकानें चलाने वाले निजी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को वस्तुएं वितरित नहीं कर रहे हैं और अंत्योदय और अन्नपूर्णा लाभार्थियों को उनके हक के अनुसार आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 196/2001 में सर्वोच्च

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने यह विचार किया कि किसी निजी व्यक्ति को अब उचित मूल्य की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उचित मूल्य की दुकानों को सहकारी समितियों और आदेश 2004 में निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों द्वारा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों के एजेंट के रूप में चलाने से पूरी तरह से बाहर रखा जाना उचित नहीं है। राज्य सरकार निजी व्यक्तियों के उचित वर्गीकरण पर आधारित थी जो उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं थे और सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों को आदेश 2004 में निर्दिष्ट किया गया था जो उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए उपयुक्त थे, जो आदेश 2004 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखने वाले एक समझदार अंतर पर आधारित है, अर्थात राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण। उन्होंने **केरल शिक्षा विधेयक, 1957** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है और तर्क प्रस्तुत किया कि निजी व्यक्तियों, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दी गई है, तथा सहकारी समितियों और आदेश 2004 में निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति दी गई है, का आदेश 2004 के तहत वर्गीकरण एक उचित वर्गीकरण है और आदेश 2004 संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित नहीं होता है।

13.श्री मिश्रा द्वारा उद्धृत **केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (पूर्विक्त)** प्रकरण के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 के वास्तविक अर्थ, दायरे और प्रभाव पर अपने पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, अपने पहले के निर्णय **मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर 1958 एस.सी 731** से निम्नलिखित अंश उद्धृत किया:

> "अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है और अनुज्ञेय वर्गीकरण परिक्षण पास करने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात्, (i) वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए जो समूह में शामिल व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है और (ii) इस तरह के अंतर का संबंधित कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। यह माना गया है कि वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर आधारित हो सकता है, अर्थात् भौगोलिक रूप से या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार और जो आवश्यक है वह यह है कि वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्थापित करते हैं कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और यह जो संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायालयों को यह मान लेना चाहिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि विधानमंडल अपने लोगों की जरूरतों को समझता है और सही ढंग से उनकी सराहना करता है, कि उसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और उसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि विधानमंडल नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकता है जहां आवश्यकता सबसे स्पष्ट समझी जाती है और अंत में संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास पर विचार कर सकता है और तथ्यों की हर स्थिति को मान सकता है जिसे उस समय मौजूद माना जा सकता है।"

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान संरक्षण वर्ग विधान को निषिद्ध करता है, लेकिन विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण को निषिद्ध नहीं करता है और अनुज्ञेय वर्गीकरण की कसौटी पर खरा उतरने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए; (i) वर्गीकरण एक सुबोध विभेद पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है और (ii) ऐसे विभेद का संबंधित कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। इन प्रतिपादनाओं को गुजरात उच्च न्यायालय के **रमनलाल नागरदास एवं अन्य बनाम एम एस पलनीटकर एवं अन्य (पूर्विक्त)** में जिसे श्री प्रशांत जायसवाल द्वारा उद्धृत किया गया था, के निर्णय में दोहराया गया है, तथा गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि कभी-कभी कानून स्वयं वर्गीकरण नहीं कर सकता है, बल्कि एक नीति निर्धारित कर सकता है तथा कानून को प्रशासित करने के उद्देश्य से वर्गीकरण करने के लिए कार्यपालिका को विवेकाधिकार प्रदान कर सकता है, तथा ऐसे मामलों में कार्यपालिका को दी गई शक्ति उस पर विधान के विषय-वस्तु को संविधि में दर्शाई गई नीति के अनुसार वर्गीकृत करने का कर्तव्य भारित करती है, तथा विवेकाधिकार का प्रयोग उस नीति के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसके लिए विवेकाधिकार दिया गया है, तथा वर्गीकरण के औचित्य का परीक्षण उस नीति के संबंध में किया जाना चाहिए, तथा यदि कार्यपालिका ऐसे आधार पर व्यक्तियों या वस्तुओं का वर्गीकरण करती है, जिसका विधायिका की नीति से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, तो उसकी कार्रवाई को निश्चित रूप से समान संरक्षण खंड के विरुद्ध बताते हुए रद्द किया जा सकता है। उक्त निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम में विधानमंडल ने विधायी नीति निर्धारित की है और अधिनियम के चारों कोनों में पाए जाने वाले ढांचे के भीतर उस नीति के विवरण तैयार करने और तदनुसार अधिनियम में निर्धारित नीति के अनुसार अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश देने का काम केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को खंडपीठ की ओर से सुनाने वाले न्यायमूर्ति भगवती की टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:

"यह वर्गीकरण अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतर सकता है या नहीं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि वह पृष्ठभूमि जिसके विरुद्ध राज्य द्वारा कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई द्वारा विनियमित किए जाने वाले वस्तु

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और व्यवसाय की प्रकृति और चरित्र तथा वह उद्देश्य जिसे विधानमंडल ने उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए ध्यान में रखा था, जिसके निष्पादन या प्रशासन के लिए वर्गीकरण किया गया है। जब हम उक्त अधिनियम के प्रावधानों की ओर मुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि उक्त अधिनियम का दायरा और चरित्र ऐसा है कि विधानमंडल विधायी नीति निर्धारित करने से अधिक कुछ नहीं कर सकता है और उक्त अधिनियम के चारों कोनों में पाए जाने वाले ढांचे के भीतर उस नीति के विवरण तैयार करने के लिए कार्यपालिका पर छोड़ सकता है, क्योंकि कार्यपालिका स्थिति की आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं का न्याय करने की बेहतर स्थिति में होगी। प्रस्तावना और धाराओं का मुख्य भाग स्पष्ट रूप से विधायी नीति तैयार करता है और उस नीति के विवरण को उस नीति के ढांचे के भीतर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य अधीनस्थ अधिकारियों या प्राधिकारियों को सौंपकर तैयार किया जाना चाहिए। विधानमंडल ने प्रस्तावना और धाराओं के मुख्य भाग में कानून की नीति और कानूनी सिद्धांत की घोषणा की जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों या उक्त अधिनियम के तहत किए गए किसी आदेश के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्यपालिका को मार्गदर्शन और नियंत्रित करना है। वह सिद्धांत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना और उचित मूल्य पर उनका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह उक्त अधिनियम में इंगित उद्देश्य है और जब भी कार्यपालिका उक्त अधिनियम के प्रावधानों या उक्त अधिनियम के तहत किए गए किसी आदेश या उक्त अधिनियम के तहत किए गए किसी आदेश के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्गीकरण करती है, तो उस उद्देश्य के संबंध में वर्गीकरण की औचित्य की जांच की जानी चाहिए। उक्त अधिनियम के प्रावधानों या उक्त अधिनियम के तहत किए गए किसी आदेश के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में या अनुसरण में कार्यपालिका द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, वह अंततः उक्त अधिनियम से ही जुड़ा होता है और उसे उक्त अधिनियम से ही अपना पोषण और बल प्राप्त करना चाहिए और इसलिए, उक्त अधिनियम में तैयार की गई विधायी नीति या सिद्धांत या उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए, वर्तमान मामले में राज्य द्वारा किए गए वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए एक न्यायसंगत और तर्कसंगत संबंध रखना चाहिए। उक्त अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य अर्थात् आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना या उसमें वृद्धि करना तथा उचित मूल्य पर उनका समतापूर्ण वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना।"

14. गुजरात उच्च न्यायालय के **रमनलाल नागरदास एवं अन्य बनाम एम एस पलनीटकर एवं अन्य (पूर्विक्त)** के उक्त निर्णय में जस्टिस भगवती द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित उपरोक्त कानून को लागू करते हुए, अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आदेश 2004 बनाया गया है और इसलिए इन रिट याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत आदेश 2004 को दी गई चुनौती की जांच अधिनियम की धारा 3 (1)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में उल्लिखित उद्देश्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए। यदि आदेश 2004 द्वारा किए गए वर्गीकरण का अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लिखित उक्त उद्देश्यों से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, तो वर्गीकरण एक अनुचित वर्गीकरण होगा और इसे न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत होने के कारण रद्द करना होगा। दूसरी ओर, यदि आदेश 2004 द्वारा किया गया वर्गीकरण अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लिखित उद्देश्यों के साथ तर्कसंगत संबंध रखता है, तो वर्गीकरण को उचित वर्गीकरण माना जाना चाहिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समान संरक्षण खंड द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में माना है कि आदेश 2004 द्वारा किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतर सकता है या नहीं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा जैसे कि वह पृष्ठभूमि जिसमें आदेश 2004 जारी किया गया है और जिन वस्तुओं और व्यवसाय को विनियमित करने की मांग की गई है उनकी प्रकृति और चरित्र।

15. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आदेश 2004 किस पृष्ठभूमि में जारी किया गया है, यह जानने के लिए हमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब दावा का संदर्भ लेना होगा। उक्त जवाब दावा में कहा गया है कि योजना 2001 के प्रारंभ होने से पहले, मध्य प्रदेश सार्वजनिक नागरिक योजना, 1991 के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य की दुकानें केवल सहकारी समितियों को ही आवंटित की जा सकती थीं। राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब दावा में आगे कहा गया है कि वर्ष 2001 में राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण सहकारी समितियां अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें चलाने की स्थिति में नहीं थीं और इसलिए योजना 2001 में निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए प्रावधान किया गया था। हालांकि, निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के बाद, उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ दर्ज अनियमितताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 में दर्ज मामलों की संख्या दर्शाने वाले जवाब दावा विवरणों के साथ अनुलग्नक-आर/1 संलग्न किया गया है। राज्य सरकार के जवाब दावा के साथ संलग्न अनुलग्नक-आर/1 में दिए गए उक्त विवरणों से हमें पता चलता है कि वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान निजी व्यक्तियों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ दर्ज मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	निजी व्यक्ति	सहकारी समितियाँ	पंचायत	उपभोक्ता भंडार	विपणन सोसायटी
2001-2002	133	54	0	28	0
2002-2003	357	54	0	1	0
2003-2004	710	167	1	16	4

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपरोक्त चार्ट में दर्शाए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतों की संख्या वर्ष 2001-2002 में 133, वर्ष 2002-2003 में 357 तथा वर्ष 2003-2004 में 710 थी। उपरोक्त चार्ट यह भी दर्शाएगा कि अन्य एजेंसियों जैसे सहकारी समितियां, पंचायत, उपभोक्ता सहकारी समितियां तथा विपणन समितियां द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही है। इस प्रकार, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतों की संख्या न केवल अन्य एजेंसियों जैसे सहकारी समितियां, पंचायत, उपभोक्ता सहकारी समितियां तथा विपणन समितियां के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या से कहीं अधिक है, बल्कि निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध ऐसी शिकायतों की संख्या में वर्ष दर वर्ष कई गुना वृद्धि हो रही है।

16. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब दावा में यह भी कहा गया है कि रिट याचिका क्रमांक 196/2001, **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य** में सर्वोच्च न्यायालय अपने नियुक्त आयुक्तों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करता रहा है और 2 मई 2003 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि उचित मूल्य दुकानदार निर्धारित अवधि में पूरे माह अपनी दुकानें खुली नहीं रखते हैं, बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को निर्धारित दर पर या उससे अधिक दर पर अनाज उपलब्ध नहीं कराते हैं, बीपीएल परिवारों के कार्ड अपने पास रखते हैं, बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड में गलत प्रविष्टियां करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, अनाज को खुले बाजार में ले जाते हैं, ऐसी राशन दुकानों को अन्य व्यक्तियों/पदाधिकारियों को सौंप देते हैं, अथवा बीपीएल एवं अंत्योदय को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। जवाब दावा में आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के राज्य सलाहकार श्री बिराज पटनायक ने पूरे राज्य में व्यापक दौरे किए, लाभार्थियों से बातचीत की और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त को एक रिपोर्ट प्रत्यायोजित की और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 20/04/2004 को एक पत्र भेजा, जिसमें उल्लेख किया गया कि सलाहकार ने मध्याह्न भोजन और आदिवासी विकास परियोजनाओं (टीडीपी) के कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं को उजागर किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आयुक्त के सलाहकार श्री बिराज पटनायक की दिनांक 03/04/2004 की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली:

पूरे जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति चिंताजनक है और जैसा कि मैंने अनुलग्नक के रूप में रिपोर्ट संलग्न की है, उससे पता चलता है कि निगरानी की कमी के कारण प्रणाली ध्वस्त हो गई है। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट और व्यक्तिगत ब्रीफिंग में आपको राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों के बारे में बताया था, जिसमें खाद्य सुरक्षा कोष का निर्माण और प्रमुख

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समितियों को दी जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को कमीशन देना शामिल है। इसका स्वागत करते हुए, मैंने हालांकि चेतावनी दी थी कि जब तक जिलों में शासन संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक इस प्रगतिशील कदम का बहुत कम प्रभाव होगा। मनेंद्रगढ़ की स्थिति इस विफलता का प्रमाण है। मैं घाघरा, चरवाही, केलुआ, बड़काबेहरा, महाई, ताराबेहरा, कछोड़, गरुडोल, पेंड्री और बिहारपुर पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के संबंध में मुझे प्राप्त शिकायतें और हलफनामों का एक सेट संलग्न कर रहा हूं।"

कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा गई थी और सलाहकार का यह निष्कर्ष शिकायतों और हलफनामों के सेट पर आधारित था, जो उक्त सलाहकार को घाघरा, चरवाही, केलुआ, बड़काबेहरा, महाई, ताराबेहरा, कछोद, गरुडोल, पेंड्री और बिहारपुर पंचायतों में पीडीएस दुकानों के संबंध में प्राप्त हुए थे। उक्त शिकायतों और हलफनामों की प्रतियां भी अनुलग्नक-आर/6 के साथ जवाब दावा के साथ संलग्न की गई हैं और उक्त शिकायतों और हलफनामों को पढ़ने से पता चलता है कि उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बहुत सी अनियमितताएं की जा रही थीं। उपरोक्त रिपोर्ट कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक से संबंधित है, लेकिन यह राज्य सरकार के सामने एक नमूना था कि उचित मूल्य की दुकानें कितनी खराब तरीके से चलाई जा रही थीं। जवाब दावा के पैरा 38 में कहा गया है कि राज्य सरकार को सूचना मिली है कि अनुदान की शर्तों तथा योजना के अन्य प्रावधानों का घोर उल्लंघन हो रहा है तथा निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली उचित मूल्य की दुकानें निर्धारित समय के बाद खुल रही हैं तथा निर्धारित समय से पहले बंद हो रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अपना राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तथा इसके अतिरिक्त, निजी दुकानदार पर्याप्त स्टॉक नहीं रखते हैं तथा उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न स्थानीय व्यापारियों की दुकानों में ले जा रहे हैं। वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए निजी व्यक्तियों को अनुमति देने का यह दुखद अनुभव ही है जिसने राज्य सरकार को आदेश 2004 के तहत निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से पूरी तरह बाहर करने के लिए प्रेरित किया था। अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्यायोजन के आदेश के साथ धारा 3 (1) राज्य सरकार को किसी भी आवश्यक वस्तु के न्यायसंगत वितरण और उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने में सक्षम बनाती है और आदेश 2004 को सीधे पढ़ने से यह भी पता चलता है कि आदेश 2004 का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों द्वारा राशन कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है और यदि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुभव यह है कि उक्त उद्देश्य निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो आदेश 2004 के तहत निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखने का अधिनियम के साथ-साथ आदेश द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि आदेश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2004 में निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से पूरी तरह बाहर रखा गया है, जबकि इसमें निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति दी गई है, अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, इसमें कोई दम नहीं है।

17. **रमनलाल नागरदास एवं अन्य बनाम एम एस पलनीटकर एवं अन्य**, जिसका उल्लेख श्री प्रशांत जायसवाल ने किया है, में राज्य ने नीतिगत तौर पर अन्य लाइसेंस धारकों को बाहर करके चीनी के थोक वितरण का काम सहकारी समितियों को सौंपने का फैसला किया है और राज्य के इस फैसले को याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के समान संरक्षण खंड का विभेदकारी और उल्लंघन है। उक्त मामले में याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि चीनी के थोक वितरण के उद्देश्य से लाइसेंस धारकों का वर्गीकरण जो सहकारी समितियां हैं और जो सहकारी समितियां नहीं हैं, अधिनियम की नीति या उद्देश्य से संबंधित नहीं था। उस मामले में कलेक्टर द्वारा दायर जवाब में वर्गीकरण को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि राज्य ने चीनी के वितरण को अधिक संतोषजनक आधार पर लाने और सहकारी समितियों के काम को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए अन्य लाइसेंस धारकों को बाहर करके चीनी के थोक वितरण का काम सहकारी समितियों को सौंपने का फैसला किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सहकारी समितियों के कार्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना वर्गीकरण के लिए उचित आधार नहीं दे सकता क्योंकि इसका अधिनियम की नीति या उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसका उद्देश्य चीनी की आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना तथा उचित मूल्य पर इसका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि चीनी के वितरण को अधिक संतोषजनक आधार पर रखना वर्गीकरण के लिए उचित आधार दे सकता है, लेकिन राज्य ने हलफनामे में न्यायालय को यह संकेत नहीं दिया कि लाइसेंस धारकों से गठित संघ द्वारा चीनी का थोक वितरण कैसे और किस तरह से असंतोषजनक था और यदि इसे अन्य लाइसेंस धारकों को छोड़कर केवल सहकारी समितियों को सौंपा जाता है तो यह चीनी के वितरण को कैसे और किस तरह से अधिक संतोषजनक आधार पर रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि राज्य ने न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य नहीं रखा जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अन्य लाइसेंस धारकों के बजाय सहकारी समितियों को सौंपने से चीनी का थोक वितरण अधिक संतोषजनक आधार पर रखा जा सकेगा। दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, राज्य ने अपने जवाब दावा में तथ्य और आंकड़े दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान निजी मालिकों को उचित मूल्य की दुकानें सौंपने का पूरा प्रयोग बिल्कुल भी सुखद नहीं रहा है और निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली उचित मूल्य की दुकानों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में राशन कार्ड धारकों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतें की गई हैं। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्य, **रमनलाल नागरदास और अन्य बनाम एम एस पलनीटकर और अन्य (पूर्विक्त)** में गुजरात उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के तथ्यों से अलग हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों में निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखने का अधिनियम की धारा 3 (1) के उद्देश्य के साथ-साथ आदेश 2004 के उद्देश्य से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तर्कसंगत संबंध है, अर्थात राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर समान तरीके से खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

18. उपरोक्त निष्कर्ष के लिए हम **मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसायटी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (पूर्विक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन पाते हैं। उस मामले के तथ्य यह हैं कि मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ (वितरण) नियंत्रण आदेश, 1960 में खुदरा विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के संचालन का प्रावधान था और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर, 1980 को खुदरा विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के संचालन से संबंधित प्रावधानों को हटाकर और एक सरकारी योजना के तहत उचित मूल्य की दुकानों के संचालन का प्रावधान करके उक्त नियंत्रण आदेश में संशोधन किया। 20 मार्च 1981 को राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश (खाद्य पदार्थ) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 1981 प्रख्यापित की, जिसके तहत उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए एजेंटों की नियुक्ति में सहकारी समितियों को वरीयता दी जानी थी। मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसायटी और अन्य ने सहकारी समितियों को वरीयता देने के लिए योजना के उक्त प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए एजेंट के रूप में नियुक्ति में उपभोक्ता सहकारी समितियों को वरीयता देने के लिए मध्य प्रदेश (खाद्य पदार्थ) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 1981 में उक्त प्रावधान को बरकरार रखा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसायटी और अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती को निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दिया:

> "हमने आक्षेपित योजना की संक्षिप्त रूपरेखा दी है और यह नहीं कहा जा सकता कि यह मनमानी से ग्रस्त है या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए तर्कहीन है। राज्य सरकार ने उचित विचार-विमर्श के बाद उचित मूल्य की दुकानों को सीधे चलाने का एक जिम्मेदार निर्णय लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों का वितरण करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा इन दुकानों को चलाने का पिछला प्रयोग पूरी तरह विफल रहा था। यह योजना राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी कार्रवाई द्वारा उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, न्यायालय ने **सरकारी सस्ता अनाज विक्रेता संघ मामले (पूर्विक्त)** में पाया है कि खाद्य पदार्थों के वितरण की पूरी प्रणाली ध्वस्त हो गई थी खुदरा विक्रेताओं द्वारा नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के घोर उल्लंघन के कारण खाद्य पदार्थों के वितरण की व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवहारिक हो गई है। उपभोक्ता सहकारी समितियों को खाद्य पदार्थों के वितरण का जिम्मा सौंपने में राज्य सरकार की कार्रवाई, हालांकि कठोर थी, लेकिन आम जनता के हित में उठाया गया एक अपरिहार्य कदम था। राज्य सरकार खुदरा विक्रेताओं को सरकारी योजना के तहत उचित मूल्य की दुकानें देने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के लिए बाध्य नहीं थी। उपभोक्ता सहकारी समितियों को वरीयता देने में सरकारी कार्रवाई को मनमाना, तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता है।"

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार जब न्यायालय ने पाया कि खुदरा विक्रेताओं की नियुक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों के वितरण की प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई थी और खुदरा विक्रेताओं द्वारा नियंत्रण आदेश के घोर उल्लंघन के कारण पूरी तरह से अव्यवहारिक हो गई थी, तो न्यायालय ने माना कि उपभोक्ता सहकारी समितियों को खाद्य पदार्थों के वितरण का जिम्मा सौंपने में राज्य सरकार की कार्रवाई को मनमाना या तर्कहीन या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से असंबंधित नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति देने का प्रयोग पूरी तरह विफल रहा है, क्योंकि राशन कार्ड धारकों से निजी व्यक्तियों, जो उचित मूल्य की दुकानें चलाते हैं, के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और ऐसी शिकायतें वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान हर साल बढ़ रही थीं और इस कारण से राज्य सरकार ने आदेश 2004 में उचित मूल्य की दुकानों को चलाने का काम व्यक्तिगत निजी व्यक्तियों को न सौंपकर इसके बजाय आदेश 2004 में निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों को सौंपने का निर्णय लिया था। आदेश 2004 में उचित मूल्य की दुकानें चलाने से निजी व्यक्तियों को बाहर रखने को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मनमाना, अविवेकपूर्ण या अनुचित नहीं माना जा सकता है।

19. हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनक तिवारी का तर्क है कि मध्य प्रदेश (खाद्य पदार्थ) नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण योजना, 2001 के तहत निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया था, बल्कि उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जानी थी और इसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में अगर उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए उपभोक्ता सहकारी समिति उपलब्ध नहीं है या उपभोक्ता सहकारी समिति उचित मूल्य की दुकान चलाने से इनकार करती है, तो राज्य सरकार द्वारा किसी निजी व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान चलाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान मनमाना नहीं होगा, बल्कि उचित होगा और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 को प्रभावित नहीं करेगा। जैसा कि हमने ऊपर पाया है, वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान राशन कार्ड धारकों से निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध अनियमितताओं की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसी शिकायतों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और इन तथ्यों के आधार पर, यह राज्य सरकार को तय करना है कि क्या उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए केवल सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों को वरीयता दी जाए और उन क्षेत्रों में जहां ऐसी सहकारी समितियां या अन्य निर्दिष्ट एजेंसियां उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी उचित मूल्य की दुकानों को निजी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए या निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। सहकारी समितियों को वरीयता देने या निजी व्यक्तियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के संचालन को पूरी तरह से बंद करने का यह निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में एक नीतिगत निर्णय है। एक बार जब हम पाते हैं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि आदेश 2004 में एक ओर निजी व्यक्तियों और दूसरी ओर आदेश 2004 में निर्दिष्ट सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों के बीच वर्गीकरण, अधिनियम की धारा 3 (1) के साथ-साथ आदेश 2004 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य अर्थात् राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों और विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के साथ तर्कसंगत संबंध रखता है, तो न्यायालय को वर्गीकरण को वैध और उचित मानना होगा और यह मानना होगा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा और इसके बाद यह सुझाव देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से पूरी तरह से बाहर करने के बजाय केवल सहकारी समितियों और आदेश 2004 में निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए वरीयता दी जानी चाहिए थी और व्यक्तिगत निजी व्यक्तियों को भी उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए विचार किया जा सकता था, जहां ऐसी सहकारी समितियां और अन्य निर्दिष्ट एजेंसियां उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए इच्छुक नहीं थीं या उपलब्ध नहीं थीं। हमारी सुविचारित राय में, इस संबंध में निर्णय विधानमंडल या सरकार का हो सकता है, न्यायालय का नहीं। श्री प्रशांत मिश्रा द्वारा उद्धृत प्रकरण **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सिरकर और अन्य, ए.आई.आर 1952 एस.सी 75** में, न्यायाधीश बोस ने पैरा 83 में कहा है:

> "हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीशों को यह निर्धारित करना है कि लोगों की भलाई के लिए क्या है और अपनी व्यक्तिगत और निजी राय को सरकार की राय के स्थान पर रखना है, या वे विधायिका के कार्यों को हड़प सकते हैं। यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है और यद्यपि हमेशा एक संकीर्ण सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर न्यायाधीश, जो मानव हैं, हमेशा व्यक्तिपरक कारकों से प्रभावित होंगे, उनका प्रशिक्षण और उनकी परंपरा उनके निर्णयों के मुख्य भाग को एक ही आवाज में बोलने और अवैयक्तिक परिणामों तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है, चाहे उनकी व्यक्तिगत पसंद या उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह केवल विधायिका का कार्य है, जिसका नेतृत्व वर्तमान सरकार करती है, यह निर्धारित करना कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा और उचित है और क्या नहीं, और उन्हें अपनी शक्तियों के दायरे में अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए सबसे व्यापक छूट दी जानी चाहिए, अन्यथा सभी प्रगति वर्जित है। लेकिन, संविधान के कारण, ऐसी सीमाएँ हैं जिनसे वे आगे नहीं जा सकते हैं और भले ही यह यह निर्धारित करना न्यायाधीशों का काम है कि वे सीमाएँ कहाँ हैं, उनके निर्णय का आधार यह नहीं हो सकता कि न्यायालय को लगता है कि कानून लोगों के लाभ के लिए है या नहीं। इस प्रकार के वर्ग का निर्णय केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि संविधान इसे प्रतिबंधित करता है या नहीं।"

20. अब हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय के इस नवीन तर्क पर विचार कर सकते हैं कि आदेश 2004 में किया गया वर्गीकरण संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी लक्ष्यों और भाग IV में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ असंगत है, क्योंकि यह निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाकर अपनी आजीविका कमाने से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वंचित करता है और इस कारण से आदेश 2004 संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन करता है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (पूर्विक्त)** मामले में न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी की निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला दिया:

> "संविधान के जिस भी अनुच्छेद की हम व्याख्या करना चाहते हैं, जिस भी कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया जा रहा है, हमें ऐसी व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए जो समाजवादी लोकतांत्रिक राज्य की ओर बढ़ने और प्रगति को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं कि क्या कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या विधानमंडल द्वारा किया गया वर्गीकरण संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित समाजवादी लक्ष्यों और संविधान के भाग IV में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है। ऐसा वर्गीकरण जो संविधान के अनुरूप नहीं है, वह अपने आप में अनुचित है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"

उपरोक्त टिप्पणियों में न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा है कि जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या विधानमंडल द्वारा किया गया वर्गीकरण प्रस्तावना में निर्धारित समाजवादी लक्ष्यों और भाग IV में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है। संविधान की प्रस्तावना "अपने सभी नागरिकों को" सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। संविधान की प्रस्तावना में "अपने सभी नागरिकों" की अभिव्यक्ति का अर्थ केवल उचित मूल्य की दुकानें चलाने वाले निजी व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि आदेश 2004 के तहत राशन कार्ड धारक भी हैं, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति या परिवार और अंत्योदय परिवार (राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए सबसे गरीब परिवार) और निराश्रित परिवार शामिल हैं। इसलिए, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का अर्थ होगा कि आवश्यक वस्तुएं और विशेष रूप से खाद्य पदार्थ ऐसे राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर वितरित किए जाएं, न कि उनकी पहुंच से परे कीमतों पर। संविधान के अनुच्छेद 47 में नीति निर्देशक सिद्धांत यह आदेश देता है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य के कर्तव्य का हिस्सा है कि खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं, न कि उनकी पहुंच से परे कीमतों पर। यदि राज्य सरकार ने पाया है कि 2001 से 2004 तक तीन वर्षों के दौरान निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली उचित मूल्य की दुकानों द्वारा अपनाई गई अनियमितताओं और कदाचारों की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसी शिकायतों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो राज्य सरकार द्वारा आदेश 2004 में यह प्रावधान करना उचित था कि निजी व्यक्तियों को राज्य सरकार के एजेंट के रूप में उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आदेश 2004 में ऐसा प्रावधान संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप होगा और आदेश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2004 में निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखने वाला ऐसा वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

21.तथापि, श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजेश पाण्डेय, श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री यशवंत तिवारी और श्री सुधीर वर्मा का तर्क यह है कि राज्य सरकार द्वारा अपने जवाब दावा में दिए गए आंकड़ों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी समितियों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ पंजीकृत मामलों की संख्या से संबंधित अनुलग्नक-आर/4 पर न्यायालय को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उक्त आंकड़ों में निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली कुल उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी समितियों एवं अन्य एजेंसियों के स्वामित्व वाली कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है और निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली कुल उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी समितियों के स्वामित्व वाली कुल उचित मूल्य की दुकानों के आंकड़ों के अभाव में, न्यायालय के लिए यह पता लगाना कठिन है कि दोनों श्रेणियों में कितनी उचित मूल्य की दुकानों ने कदाचार और अनियमितताएं कारित किया है। यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मोहम्मद हनीफ कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य** सहित कई निर्णयों में निर्धारित कानून की अनदेखी करता है, जिसका हवाला देते हुए कहा गया है कि कानून के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और जो यह कहता है की संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है यह सिद्ध करने का भार भी उस पर होता है और न्यायालयों को यह मानकर चलना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से समझती है और उसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट समस्याओं पर केंद्रित हैं और उसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं। इसलिए, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि राज्य सरकार ने आदेश 2004 बनाते समय निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे उचित मूल्य की दुकानों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता को सही ढंग से समझा है और तदनुसार आदेश 2004 बनाकर ऐसे निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखा है, जिनद्वारा आवश्यक वस्तुओं और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों को राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जाना है। यदि राज्य सरकार के जवाब दावा में और साथ ही अनुलग्नक-आर/1 में प्रस्तुत आंकड़े, जिन पर राज्य सरकार की ऐसी समझ और मूल्यांकन आधारित थी, अधूरे या गलत थे, तो याचिकाकर्ताओं पर न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त आंकड़े प्रस्तुत करने और आदेश 2004 के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा का खंडन करने का दायित्व था। राज्य सरकार द्वारा अपने जवाब दावा और साथ ही अनुलग्नक-आर/1 में हमारे समक्ष जो भी सामग्री रखी गई है, उसके आधार पर हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखना और आदेश 2004 को संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रति विभेदकारी और उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता है।

22.श्री कनक तिवारी, रिट याचिका क्रमांक 1397/2005 में याचिकाकर्ता, जो एक उपभोक्ता सहकारी समिति है, के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 2004 के खंड 9 के उप खंड (3) (ए) में प्रावधान है कि आईटीडीपी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन निम्नलिखित एजेंसियों को प्राथमिकता के क्रम में किया जाएगा:

(i) बड़ी आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (लैम्प्स)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ii) ग्राम पंचायतें

(iii) महिला स्वयं सहायता समूह

(iv) प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां

(v) वन सुरक्षा समितियां

(vi) अन्य सहकारी समितियां

उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इसी प्रकार आदेश 2004 के खंड 9 के उप खंड 4 (ए) में प्रावधान है कि अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन निम्नलिखित एजेंसियों को प्राथमिकता के क्रम में किया जाएगा:

(i) ग्राम पंचायतें

(ii) महिला स्वयं सहायता समूह

(iii) प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां

(iv) अन्य सहकारी समितियां

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सहकारी समितियां "अन्य सहकारी समितियों" की श्रेणी में आती हैं और इस प्रकार उन्हें आईटीडीपी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रखा गया है। उन्होंने कहा कि खंड 9 के उप-खंड 3 (बी) में आईटीडीपी क्षेत्रों में अन्य सहकारी समितियों को केवल 10% दुकानें आवंटित करने और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और वन सुरक्षा समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसी तरह आदेश 2004 के खंड 9 के उप-खंड 4 (बी) में अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में से 33% महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं द्वारा संचालित अन्य सहकारी समितियों के लिए आरक्षित करने और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन का प्रावधान है। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि ये प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आदेश 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के राज्य सलाहकार श्री बिरज पटनायक की सिफारिशों के आधार पर यंत्रवत् रूप से बनाये गये हैं, बिना इस बात पर विचार किये कि क्या इस प्रकार का आरक्षण और प्राथमिकता संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अनुज्ञेय है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 3 और आदेश 2004 का उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है और विशेष रूप से राज्य छत्तीसगढ़ में सभी कमजोर नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ, जबलपुर एवं अन्य बनाम राज्य मध्य प्रदेश, भोपाल एवं अन्य, ए.आई.आर 1961 म.प्र 203**, तथा **सरकारी सस्ता अनाज विक्रेता संघ, तहसील बेमेतरा एवं अन्य बनाम राज्य मध्य प्रदेश एवं अन्य, ए.आई.आर 1981 एस.सी 2030** में इस स्थिति को सही ठहराया है। मध्य प्रदेश और सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः मध्य प्रदेश खाद्य सामग्री (नागरिक आपूर्ति वितरण) योजना (1981) को मान्यता दी है, जो उपभोक्ता सहकारी समितियों को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता देने का प्रावधान करती है। लेकिन राज्य सरकार ने श्री बिराज पट्नायक की उक्त सिफारिशों को स्वीकार करते समय इस कानून की स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कर दिया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक उपभोक्ता सहकारी संस्था है और उसे आशंका है कि आदेश 2004 के खंड 9 में की गई ऐसी आरक्षण और प्राथमिकताओं के कारण याचिकाकर्ता को कोई उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि **मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ सोसायटी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (पूर्विक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि **एयरपोर्ट प्राधिकरण** मामले **(ए.आई.आर 1979 एस.सी 1628)** में निर्धारित सिद्धांतों के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि सरकारी कार्रवाई में मनमानी का खुलासा होता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताते हुए अमान्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि आदेश 2004 की धारा 9 में महिला स्व-सहायता समूहों, वन सुरक्षा समितियों, पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों के पक्ष में प्राथमिकता देने और आरक्षण देने के प्रावधान पूरी तरह से मनमाने हैं और इनका अधिनियम की धारा 3 और आदेश 2004 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। श्री तिवारी ने यह दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का भी हवाला दिया कि केवल लैम्पस और उपभोक्ता सहकारी समितियां ही उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं को बेचने के लिए अधिकृत हैं और प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

23. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने दलील दी कि राशन कार्ड धारकों को खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने वाली एजेंसियों का चयन करना विधानमंडल और सरकार का काम है और यदि राज्य सरकार ने आदेश 2004 में यह निर्णय लिया है कि किन एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी चाहिए और किस प्राथमिकता के आधार पर, तो न्यायालय को आदेश 2004 में ऐसी एजेंसियों के चयन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

24. श्री प्रशांत मिश्रा सही कह रहे हैं कि सरकार और विधानमंडल को उन एजेंसियों का चयन करना है, जिन्हें राशन कार्ड धारकों को खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं, लेकिन एजेंसियों को चुनने के लिए विधानमंडल और सरकार की ऐसी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसलिए, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश देते समय उन व्यक्तियों, प्राकृतिक या कानूनी, को चुन सकती है, जिन्हें राशन कार्ड धारकों को खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं, लेकिन यह ऐसे व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है और स्वीकार्य वर्गीकरण की कसौटी पर खरा उतरने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए (i) वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए जो समूह में शामिल व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है और (ii) ऐसे अंतरों में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे विधायिका द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आदेश 2004 द्वारा प्राप्त करने का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रयास किया गया उद्देश्य राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि यह उद्देश्य एलएएमपीएस, ग्राम पंचायतों, महिला स्वयं सहायता समूहों, प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों, वन संरक्षण समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों द्वारा "अन्य सहकारी समितियों" के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा संचालित दुकानों की तुलना में बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, आईटीडीपी क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के मामले में "अन्य सहकारी समितियों" की श्रेणी में आने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों पर लैम्पस, ग्राम पंचायतों, महिला स्वयं सहायता समूहों, प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों और वन संरक्षण समितियों को प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के मामले में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से आदेश 2004 के खंड 9 के उप-खंड (3) (क) और खंड 3 के उप-खंड (4) (क) में उल्लिखित एजेंसियों के वर्गीकरण का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (3) (क) और (4) (क) में किया गया वर्गीकरण अनुचित है और आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (3) (क) और (4) (क) में प्राथमिकता के संबंध में प्रावधान विभेदकारी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसी प्रकार, आदेश 2004 के खंड 9 के उपखंड (3) (ख) में भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने तथा खंड 9 के उपखंड (3) (ख) और खंड 9 के उपखंड 4 (ख) में वन सुरक्षा समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, क्योंकि हमारे समक्ष यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियां या वन सुरक्षा समितियां और महिला स्वयं सहायता समूह, "अन्य सहकारी समितियों" के अंतर्गत आने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों की तुलना में राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं के वितरण के उद्देश्य को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विचार में निर्दिष्ट एजेंसियों को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए किसी भी श्रेणी की निर्दिष्ट एजेंसियों के पक्ष में किसी भी प्राथमिकता या आरक्षण के बिना विचार किया जाना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए अधिकारियों के साथ एकमात्र विचार यह होना चाहिए कि कौन सी निर्दिष्ट एजेंसी अधिनियम की धारा 3 और आदेश 2004 के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त करने में सक्षम होगी, अर्थात राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं का वितरण। आदेश 2004 के खंड 9 के उप-खंड (3) (क) और (3) (ख) और (4) (क) और (4) (ख) में निर्दिष्ट एजेंसियों के बीच प्राथमिकता और कुछ निर्दिष्ट एजेंसियों के पक्ष में आरक्षण के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत होने के कारण रद्द किए जाने योग्य हैं।

25. अधिनियम की धारा 5 के साथ धारा 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति भी लागू की जा सकने वाली कानून के अधीन है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 2 में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की परिभाषाएं हैं और विभिन्न प्रकार की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सहकारी समितियों को परिभाषित करने वाली धारा 2 के विभिन्न प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया गया है जिसके लिए सहकारी समितियां बनाई गई हैं। उक्त अधिनियम की धारा 10 (1) में आगे प्रावधान है कि रजिस्ट्रार सभी समितियों को उसमें वर्णित एक या अधिक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करेगा और धारा 10 (1-क) में आगे प्रावधान है कि रजिस्ट्रार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी शीर्षक के अंतर्गत आने वाली समितियों को शीर्ष समिति, केंद्रीय समिति या प्राथमिक समिति के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 31 में यह भी प्रावधान है कि सहकारी समिति का पंजीकरण उसे उस नाम से निगमित निकाय बना देगा जिसके तहत वह पंजीकृत है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, तथा उसे संपत्ति रखने, अनुबंध करने, मुकदमों और अन्य कानूनी कार्यवाहियों को शुरू करने और बचाव करने तथा उन उद्देश्यों के लिए सभी कार्य करने की शक्ति होगी जिनके लिए उसका गठन किया गया था। इसलिए, जब तक सहकारी समिति का गठन अपने सदस्यों और क्षेत्र के अन्य लोगों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने या बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, और उक्त अधिनियम के तहत इस रूप में पंजीकृत और वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सहकारी समिति को राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने या बेचने के लिए कानून के तहत अधिकृत नहीं किया जाएगा। आदेश 2004 के खंड 9 के उपखंड (3) और (4) में प्राथमिक ऋण सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन का प्रावधान है, भले ही प्राथमिक ऋण सहकारी समितियां और कुछ अन्य सहकारी समितियां उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण या बिक्री की गतिविधि करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और उस सीमा तक अवैध हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

26. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कनक तिवारी ने आगे कहा कि आदेश 2004 के खंड 9 के उपखंड 3 (ग) में प्रावधान किया गया है कि आईटीडीपी क्षेत्रों में संचालित सभी उचित मूल्य की दुकानों के बिक्री व्यक्तियों को स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीपीएल परिवारों से नियुक्त किया जाएगा और आदेश 2004 के खंड 9 के उपखंड 3 (घ) में प्रावधान है कि आईटीडीपी क्षेत्र में सभी बिक्री व्यक्तियों का 33% आदिवासी महिलाएं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आदेश 2004 के खंड 9 के उप-खंड (7) में प्रावधान है कि विक्रय व्यक्तियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी विक्रय व्यक्तियों में से कम से कम 33% महिलाएं और 10% विकलांग होने चाहिए। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि उचित मूल्य की दुकान का मालिक उचित मूल्य की दुकानों के लिए विक्रय व्यक्तियों का नियोक्ता है और राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए आदेश द्वारा नियोक्ता को आदिवासी महिलाओं, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों में विक्रय व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में आईटीडीपी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान के सभी विक्रय व्यक्तियों को स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीपीएल परिवारों में

से और अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के सभी विक्रय व्यक्तियों को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों में से नियोजित करने के ऐसे प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अधिकारातीत हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के पक्ष में रोजगार में 100% आरक्षण नहीं हो सकता है। इस दलील के समर्थन में उन्होंने **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्पली. (3) एस.सीसी 217** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

27. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने दलील दी कि स्थानीय जनजातीय समुदायों, अनुसूचित जाति समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के बीपीएल परिवारों में से विक्रय व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए आदेश 2004 के खंड 9 के उप-खंड (3), (4) और (7) में प्रावधानों का उद्देश्य रोजगार में उनके पक्ष में कोई आरक्षण करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के दौरान जनजातीय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जाए।

28. सरकार आदेश 2004 में बीपीएल परिवारों, अनुसूचित जाति समुदाय, ओबीसी समुदाय, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों से सेल्सपर्सन को नियोजित करने के लिए प्रावधान कर सकती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित करते समय समाज के इन कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके, लेकिन आदेश 2004 में ऐसे प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 से विभेदकारी और उसका उल्लंघन करने वाले नहीं हो सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि आईटीडीपी क्षेत्र में किसी ऐसे सेल्सपर्सन को रोजगार देना जो आदिवासी समुदायों से नहीं है और अन्य क्षेत्रों में किसी ऐसे सेल्सपर्सन को रोजगार देना जो अनुसूचित जाति या ओबीसी समुदायों से नहीं है, आईटीडीपी या अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए हानिकारक होगा। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी, ने **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (पूर्विक्त)** में माना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का मुख्य उद्देश्य समानता और अवसर की समानता है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ 808, 809 और 810 नीचे उद्धृत हैं:

> **"808.** यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 14 और 16 का मुख्य उद्देश्य समता और अवसर की समानता है और अनुच्छेद 16 का खंड (4) उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। खंड (4) एक विशेष प्रावधान है - हालांकि खंड (1) का अपवाद नहीं है। दोनों प्रावधानों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुसंगत बनाया जाना चाहिए कि दोनों अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत के पुनर्कथन हैं। अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रावधान - समाज के कुछ वर्गों के हित में परिकल्पित - अनुच्छेद 16 के खंड (1) में निहित समानता की गारंटी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक और पूरे समाज के लिए एक गारंटी है। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि डॉ अंबेडकर ने स्वयं आरक्षण को "सीटों के अल्पसंख्यक तक सीमित" माना था (संविधान सभा में उनके भाषण को देखें, पैरा 693 में निर्धारित)। संविधान सभा के किसी अन्य सदस्य ने इसके अधिकारातीत सुझाव नहीं दिया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सीटों के बहुमत का आरक्षण कभी नहीं था संस्थापक पिताओं द्वारा परिकल्पित। न ही हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वर्तमान संदर्भ हमें उस अवधारणा से अलग होने की मांग करता है।

809. उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में उल्लिखित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

810. जबकि 50% नियम होगा, इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दूरदराज और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से बाहर होने और उनकी विशिष्ट और विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता हो, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करते समय, अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए।"

भले ही राज्य एजेंसियों के बजाय निजी एजेंसियों के स्वामित्व वाली उचित मूल्य की दुकानों के तहत रोजगार संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शामिल न हो, लेकिन राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निजी या राज्य एजेंसियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में सेल्सपर्सन के रोजगार के लिए राज्य द्वारा किया गया कोई भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के विभेदकारी और उल्लंघनकारी नहीं हो सकता है। जैसा कि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (पूर्विक्त) के मामले में उपरोक्त निर्णय में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने माना है कि सामान्य नियम के रूप में किसी भी रोजगार में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन दूरदराज और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली आबादी हो सकती है जो राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से बाहर हैं और इन क्षेत्रों की विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए इन क्षेत्रों में रोजगार में 50% आरक्षण के सख्त नियम में ढील देने की आवश्यकता हो सकती है। इस कसौटी पर खरा उतरते हुए, आईटीडीपी क्षेत्रों में विक्रय व्यक्तियों के रोजगार के लिए आदिवासी समुदायों के लिए 50% से अधिक आरक्षण उचित हो सकता है, लेकिन आदिवासी समुदायों से उचित मूल्य की दुकानों के विक्रय व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में 100% आरक्षण, हमें डर है, विभेदकारी होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। आदेश 2004 के उप खंड (3) (ग) या खंड 9 में प्रावधान है कि आईटीडीपी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के विक्रय व्यक्तियों की नियुक्ति स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीपीएल परिवारों से की जाती है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। इसी प्रकार, आदेश 2004 के खंड 9 के उप खंड (7) में प्रावधान है कि अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में विक्रय व्यक्तियों की नियुक्ति केवल अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों में से प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी लेकिन उचित मूल्य की दुकानों के बिक्री व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में महिलाओं के पक्ष में 33% तक आरक्षण के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत नहीं माना जा सकता है। इसी तरह, आदेश 2004 के खंड 9 के उप खंड (7) में उचित मूल्य की दुकानों में रोजगार के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत नहीं माना जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29.रिट याचिका क्रमांक 2600/2005 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी के सी तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक सहकारी समिति है तथा आदेश 2004 के खंड 9 (1) में प्रावधान है कि सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का संचालन जारी रहेगा, तथापि याचिकाकर्ता को 13/05/2005 को अनुलग्नक-पी/1 में आदेश जारी किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित मूल्य की दुकान का आवंटन रद्द कर दिया गया है। हम यह देखने में विफल रहे कि जब आदेश 2004 के खंड 9 (1) में सहकारी समितियों को उचित मूल्य की दुकानों के रूप में जारी रखने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित मूल्य की दुकान का आवंटन रद्द करने का आक्षेपित आदेश क्यों जारी किया गया है। यदि याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के बीच हुए करार के तहत याचिकाकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए उचित मूल्य की दुकान के रूप में जारी रखना है, तो याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार ही उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए याचिकाकर्ता के कार्यकाल को याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन को रद्द करके कम किया जा सकता है।

30.याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत जायसवाल ने तर्क दिया कि आदेश 2004, जहां तक निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखता है, वह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत याचिकाकर्ता के किसी भी व्यापार या कारोबार को चलाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने **जिला कलेक्टर, हैदराबाद बनाम मेसर्स इब्राहिम एंड कंपनी और अन्य, ए.आई.आर 1966 आंध्र प्रदेश 310** में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पांडे ने इसी तरह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध 1966 के तहत कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार है और याचिकाकर्ताओं, जो निजी व्यक्ति हैं, का यह अधिकार आदेश 2004 द्वारा छीन लिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 2004 द्वारा राज्य सरकार ने उक्त आदेश में निर्दिष्ट सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों के पक्ष में एकाधिकार बनाया है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपने अधिकार के आगे सभी निजी व्यक्तियों को अपना व्यवसाय करने से बाहर रखा है उन्होंने इस दलील के समर्थन में **रमनलाल नागरदास और अन्य बनाम एम एस पलनीटकर और अन्य (पूर्विक्त)** में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर वर्मा ने भी इसी तरह दलील दी कि याचिकाकर्ता उचित मूल्य की दुकानों का व्यवसाय कर रहे थे और आदेश 2004, जहां तक याचिकाकर्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों का व्यवसाय करने से रोकता है, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (6) के तहत उनके व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। इस दलील के समर्थन में उन्होंने **शिवजी नाथूभाई बनाम भारत संघ, ए.आई.आर 1959 पंजाब 510** में पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है।

31.याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि आदेश 2004 निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों के व्यवसाय या व्यापार करने से पूरी तरह बाहर रखता है, पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उचित मूल्य की दुकानें सार्वजनिक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की एजेंसियां हैं और किसी भी नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसी एजेंसियों द्वारा व्यापार या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है। यह आदेश 2004 के खंड 2 (1) (ई) में "उचित मूल्य दुकान" की परिभाषाओं से स्पष्ट होगा, जो नीचे उद्धृत हैं:

> **"2 (1) (ई):** "उचित मूल्य दुकान" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए करार के साथ स्थापित की गई दुकान। {जोर दिया गया}।

इसके अलावा, आदेश 2004 द्वारा निजी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुओं में व्यवसाय या व्यापार करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वे अभी भी अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए आदेशों के तहत जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का अपना व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन यदि वे निजी व्यक्ति हैं, तो उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं होगी। अतः आदेश 2004, किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करता है, जो निजी व्यक्ति हैं, आवश्यक वस्तुओं का व्यापार या व्यवसाय करने के लिए। इस कानून की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय ने **सरकारी सस्ता अनाज विक्रेता संघ, तहसील बेमेतरा एवं अन्य बनाम राज्य मध्य प्रदेश एवं अन्य** मामले में स्पष्ट किया है। उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

> "याचिकाकर्ताओं जैसे व्यापारियों के खाद्य पदार्थों का व्यापार करने के मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल डीलर के रूप में बिना किसी बाधा के खाद्य पदार्थों का व्यापार कर सकते थे, वे सरकार के एजेंट के रूप में उचित मूल्य की दुकानें नहीं चला सकते थे। कोई भी व्यक्ति सरकार के एजेंट के रूप में उचित मूल्य की दुकान चलाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। वह केवल इतना दावा कर सकता था कि उसे उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए सरकार के एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाने का अधिकार है। यदि सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए अपने एजेंट के रूप में सहकारी समितियों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने का नीतिगत निर्णय लिया, तो पिछले दो दशकों में प्राप्त निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के आलोक में, हम नहीं देखते कि हम कैसे मान सकते हैं कि कोई भेदभाव था।"

32. **जिला कलेक्टर, हैदराबाद बनाम मेसर्स इब्राहिम एंड कंपनी और अन्य (पूर्विक्त)** में राज्य सरकार ने 30 दिसंबर 1964 को एक सरकारी आदेश पारित किया था जिसके द्वारा हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों को आवंटित चीनी का पूरा कोटा विशेष रूप से एक सहकारी समिति को सौंपने का निर्देश दिया गया था और सरकारी आदेश में उल्लेख किया गया था कि सरकार ने फैसला किया है कि जिले में थोक व्यापारी के रूप में सहकारी समिति को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एकाधिकार वितरण दिया जाना चाहिए। इस सरकारी आदेश के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, उस मामले में याचिकाकर्ताओं को चीनी का आवंटन रोक दिया गया और संबंधित सहकारी समिति जुड़वां शहरों में वितरण और बिक्री के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण कोटा उठाने की हकदार एकमात्र मान्यता प्राप्त डीलर बन गई। इस प्रकार, मान्यता प्राप्त डीलरों द्वारा व्यापार करने के लिए आवश्यक स्टॉक अब उस मामले में याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध नहीं थे, जो मान्यता प्राप्त डीलर थे, जिसके परिणामस्वरूप चीनी में उनका व्यापार रुक गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 30/12/1964 का उक्त सरकारी आदेश एक कार्यकारी आदेश था, जो आंध्र प्रदेश चीनी डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश, 1963 और चीनी नियंत्रण आदेश, 1963 के समुचित कामकाज में हस्तक्षेप करता था और व्यापारियों के अधिकारों को स्थगित रखने और उन्हें पराजित करने की प्रवृत्ति रखता था, जिन्हें स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा उक्त आंध्र प्रदेश चीनी डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश, 1963 और आंध्र प्रदेश चीनी नियंत्रण आदेश 1963 द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसलिए अनुच्छेद 19 (1) (6) के तहत भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने देखा है, आदेश 2004 अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए गए आदेश के तहत जारी लाइसेंस के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं में व्यवसाय या व्यापार करने के निजी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह केवल उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान के एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाने से बाहर करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर वर्मा द्वारा उद्धृत **शिवजी नाथूभाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (पूर्विक्त)** खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और खनिज रियायत नियम, 1949 पर एक निर्णय है और उक्त निर्णय में पंजाब उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी अन्य की भूमि पर खदान चलाने का अधिकार किसी भी तरह से किसी नागरिक के खुले बाजार में खनन करने, व्यापार करने और खरीदने और बेचने के मौलिक अधिकार के समान नहीं है। उक्त निर्णय किसी भी तरह से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उक्त निर्णय में यह माना गया है कि अचल संपत्ति के मालिक को इसे किसी अन्य को पट्टे पर देने से इनकार करने का पूरा अधिकार है और इच्छुक पट्टेदार को यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि संपत्ति उसे पट्टे पर दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, आदेश 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने से बाहर रखने के लिए अपनी स्वयं की योजना बना सकती है, जिस द्वारा सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करती है तथा कोई निजी व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए किसी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

34. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के समान वितरण और

उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने की शक्ति दी गई है और अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को अधिसूचित आदेश द्वारा विशिष्ट मामलों के संबंध में अपनी शक्ति राज्य सरकार को सौंपने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि इसलिए राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शक्ति का प्रयोग करती है। उन्होंने **हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, ए.आई.आर 1960 एस.सी 554,** और **कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड, (1997) 5 एस.सीसी 516** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि एक प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल द्वारा उसे दी गई शक्ति से अधिक नहीं जा सकता है। उन्होंने **जिला कलेक्टर, चित्तूर एवं अन्य बनाम चित्तूर जिला मूंगफली व्यापारी संघ, ए.आई.आर 1989 एस.सी 989** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश जारी करते समय केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक शक्ति का प्रयोग करने की हकदार नहीं है और यदि राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक कोई आदेश जारी किया जाता है तो ऐसा आदेश अवैध और निरर्थक होगा। इस तर्क को विकसित करते हुए, श्री श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 भी तैयार किया है जिसमें इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि निजी व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खंड 2 (जे) और (के) में "उचित मूल्य की दुकान" और "उचित मूल्य की दुकान के मालिक" की परिभाषाओं का उल्लेख किया, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी, यह दिखाने के लिए कि इसमें एक निजी व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए उक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खंड 14 में आगे यह प्रावधान है कि उक्त आदेश के प्रावधान, उक्त आदेश 2001 के प्रारंभ होने से पहले राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी आदेश में निहित किसी भी अधिकारातीत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुलग्नक के खंड 5 में आगे यह प्रावधान है कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आदेश जारी करेगी और उचित मूल्य की दुकान के मालिक को लाइसेंस उक्त आदेश के तहत जारी किए जाएंगे और उचित मूल्य की दुकान के मालिक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने दलील दी कि इसलिए, राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुलग्नक के खंड 5 के अनुसार अधिनियम की धारा 3 के तहत केवल एक आदेश जारी करने की आवश्यकता थी, जो उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस की शर्तों और नियमों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुलग्नक के खंड 5 में उल्लिखित अन्य मामलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, अधिनियम की धारा 3 के तहत ऐसे आदेश में पूरी तरह से नया प्रावधान नहीं जोड़ा जा सकता है कि निजी व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य में उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए राज्य सरकार द्वारा निजी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन पर रोक लगाने वाले आदेश 2004 के खंड 9 (1) अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई शक्तियों से परे है और न्यायालय द्वारा आदेश 2004 को अधिकारातीत और शून्य माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय ने आगे दलील दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में "उचित मूल्य दुकान मालिक" की परिभाषा में "व्यक्ति" शब्द में एक प्राकृतिक व्यक्ति भी शामिल होगा और इसलिए एक निजी व्यक्ति भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश के अनुसार "उचित मूल्य दुकान मालिक" हो सकता है।

35.दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने दलील दी कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति का प्रत्यायोजन राज्य सरकारों को आदेश क्रमांक जीएसआर 800, दिनांक 9 जून 1978 द्वारा किया गया है और ऐसी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों का समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत आदेश 2004 बनाया है। उन्होंने दलील दिया कि ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन किया जाना चाहिए और इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत कोई आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है कि निजी व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी चाहिए और इस कारण आदेश 2004 में जहां तक यह कहा गया है कि निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें आदेश 2004 के बाद जारी नहीं रखी जाएंगी और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तथा आदेश 2004 में निर्दिष्ट एजेंसियों को आवंटित किया जाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

36.अधिनियम की धारा 5, जो राज्य सरकार सहित अन्य प्राधिकारियों को केन्द्रीय सरकार की शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रावधान करती है, नीचे उद्धृत की गई है:

> **"5. शक्ति का प्रत्यायोजन:-** केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि धारा 3 के अन्तर्गत आदेश बनाने या अधिसूचना जारी करने की शक्ति, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो निर्देश में निर्दिष्ट की जा सकती है, निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी-
>
> (क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी; या
>
> (ख) ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसा प्राधिकारी, जो निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

अधिनियम की धारा 5 को ऊपर उद्धृत करने से पता चलता है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि धारा 3 के तहत आदेश बनाने या अधिसूचना जारी करने की शक्ति, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो निर्देश में निर्दिष्ट की जा सकती है, उक्त धारा में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है और राज्य सरकार ऐसी ही एक प्राधिकरण है। इसलिए,

अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश बनाने की राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग केवल ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाना है, जो अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रत्यायोजन के अधिसूचित आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 यह निर्देश नहीं देता है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत खाद्य पदार्थों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में कोई आदेश बनाने या अधिसूचना जारी करने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोग की जाएगी। इसलिए, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को खाद्य पदार्थों या किसी अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश बनाने की शक्ति को राज्य सरकार को प्रत्यायोजित करने वाला अधिसूचित आदेश नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 राज्य सरकार के पक्ष में प्रत्यायोजन का चार्टर नहीं है।

37. खाद्य पदार्थों के संबंध में धारा 3 के अंतर्गत आदेश या अधिसूचना जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्यायोजन चार्टर, केन्द्रीय सरकार का आदेश क्रमांक जीएसआर 800 दिनांक 9 जून, 1978 है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

"केन्द्रीय सरकार का आदेश संख्या जी एस आर 800, दिनांक 9 जून 1978

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1), दिनांक 17 जून 1978/27 ज्येष्ठ, 1909 (शक) में प्रकाशित]

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश संख्या जी एस आर 316 (ई), दिनांक 20 जून 1972 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति, उपधारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (झझ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए उपबंध करने हेतु आदेश देने की, खाद्य पदार्थों के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी:-

(1) राज्य सरकार द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे निर्देशों के अधीन किया जाएगा, यदि कोई हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाएं,

(2) उक्त खंड (क), (ग) या (च) में निर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित या राज्य के बाहर के स्थानों पर खाद्य पदार्थों के वितरण या निपटान के संबंध में या उक्त खंड (ग) के तहत किसी खाद्य पदार्थ के परिवहन के विनियमन के संबंध में कोई आदेश देने से पहले, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति भी प्राप्त करेगी; और

(3) कि उक्त खंड (ञ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित आदेश बनाने में राज्य सरकार केवल सरकार के एक अधिकारी को अधिकृत करेगी।"

उपर्युक्त केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या जीएसआर 800 दिनांक 9 जून 1978 को साधारण रूप से पढ़ने से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार ने खाद्य पदार्थों के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति राज्य सरकारों को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर दी है और उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट पहली शर्त यह है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाएं। अतः राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में समाज के कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य पदार्थों का न्यायसंगत वितरण और उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश जारी कर सकती है, किन्तु ऐसा आदेश जारी करते समय वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए किसी निर्देश का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 2 (ञ), (ट) और 7 (1) तथा उक्त आदेश के अनुलग्नक के पैरा 5 का उद्धरण नीचे दिया गया है:-

"2 (ञ) 'उचित मूल्य दुकान' का तात्पर्य ऐसी दुकान से है, जिसे अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी आदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ट) 'उचित मूल्य दुकान मालिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है और इसमें सहकारी समिति या निगम या राज्य सरकार या ग्राम पंचायत या किसी अन्य निकाय की कंपनी शामिल है, जिसके नाम पर किसी दुकान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

7. लाइसेंसिंग: - (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानों को लाइसेंस या प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया और उचित मूल्य दुकान मालिकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां इस आदेश के अनुलग्नक के पैरा 5 के अनुसार होंगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 का अनुलग्नक

5. लाइसेंसिंग:- राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आदेश जारी करेंगी। उचित मूल्य की दुकान के मालिक को लाइसेंस उक्त आदेश के तहत जारी किए जाएंगे और उचित मूल्य की दुकान के मालिक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करेंगे। उचित मूल्य की दुकान के मालिकों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खुदरा जारी मूल्य पर राशन कार्ड धारकों की पात्रता के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री।

(ii) दुकान में एक प्रमुख स्थान पर प्रतिदिन सूचना प्रदर्शित करना, जैसे कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) बीपीएल और अंत्योदय लाभार्थियों की सूची,

(ख) आवश्यक वस्तुओं की पात्रता,

(ग) निर्गम का पैमाना,

(घ) खुदरा निर्गम मूल्य,

(ङ) उचित मूल्य की दुकान के खुलने और बंद होने का समय,

(च) माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक,

(छ) आवश्यक वस्तुओं का खुलने और बंद होने का स्टॉक और

(ज) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में शिकायतों के निवारण/शिकायत दर्ज करने का प्राधिकरण;

(iii) राशन कार्ड धारकों (एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय) के अभिलेखों, स्टॉक रजिस्टर, निर्गम या बिक्री रजिस्टर का रखरखाव;

(iv) निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां, अर्थात् राशन कार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर ग्राम पंचायत या नगर पालिका या सतर्कता समिति या राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य निकाय के कार्यालय को प्रस्तुत करना;

(v) उचित मूल्य की दुकान द्वारा आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों के नमूनों का प्रदर्शन;

(vi) निरीक्षण एजेंसी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन और वितरण से संबंधित पुस्तकें और अभिलेख प्रस्तुत करना तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करना; (vii) माह के अंत में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और शेष स्टॉक का लेखा-जोखा संबंधित राज्य सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकारी को देना तथा उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत को भेजना;

(viii) उचित मूल्य की दुकान को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित निर्धारित समय के अनुसार खोलना और बंद करना।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपर्युक्त खंड 2 (ञ) और 2 (ट) को सरलता से पढ़ने पर पता चलेगा कि उचित मूल्य की दुकान का तात्पर्य ऐसी दुकान से है जिसे अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी आदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, और उचित मूल्य की दुकान के मालिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके नाम पर एक दुकान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खंड 7 में आगे प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस या प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया और उचित मूल्य की दुकान के मालिकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां आदेश के अनुबंध के पैराग्राफ 5 के अनुसार होंगी। उपरोक्त आदेश के अनुलग्नक के पैरा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश जारी करेगी और उचित मूल्य की दुकान के मालिक को लाइसेंस उक्त आदेश के तहत जारी किया जाएगा और ऐसा लाइसेंस उचित मूल्य की दुकान के मालिक के

कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के तहत केंद्र सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश बनाने और उचित मूल्य की दुकान के मालिकों के दायित्वों और कर्तव्यों को शामिल करते हुए व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए ऐसे आदेश के तहत लाइसेंस जारी करने का प्रावधान करने का काम राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने यह तय करने का काम राज्य सरकार पर छोड़ दिया है कि किन व्यक्तियों के पक्ष में उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए और यह तय करना राज्य सरकार का काम है कि ऐसे व्यक्ति निजी व्यक्ति होंगे या सहकारी समितियां, निगम, कंपनी, ग्राम पंचायत या कोई अन्य निकाय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह निर्देश देता हो कि उचित मूल्य की दुकान द्वारा आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए व्यक्तियों या निजी व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आदेश 2004 केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई शक्ति से अधिक है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है।

38. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कनक तिवारी ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 (1) केवल केंद्र सरकार द्वारा किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने या उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने या इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और इसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए कोई आदेश देने की आवश्यकता या समीचीनता के बारे में राय बनाने का प्रावधान करती है और अधिनियम की धारा 3 (2) आदेश बनाने का प्रावधान करती है। श्री तिवारी के अनुसार अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत बनाया जाना चाहिए न कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत और इस प्रकार आदेश 2004 अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत एक आदेश था। उन्होंने आगे कहा कि 9 जून 1978 के केंद्रीय सरकार के आदेश क्रमांक जीएसआर 800 की भाषा से पता चलता है कि खाद्य पदार्थों के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट मामलों के लिए आदेश देने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा शर्तों के अधीन प्रयोग की जा सकती है कि ऐसा आदेश देने से पहले राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। उन्होंने बताया कि उपधारा (2) का खंड (ग) उस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए आदेश प्रदान करता है जिस पर कोई भी आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सकती है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का खंड (घ) लाइसेंस, परमिट या अन्यथा किसी भी आवश्यक वस्तु के परिवहन को विनियमित करने के लिए प्रदान करता है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार को किसी आवश्यक वस्तु की खरीद या बिक्री के मूल्य को नियंत्रित करने या किसी आवश्यक वस्तु के लाइसेंस, परमिट या अन्यथा परिवहन को विनियमित करने के लिए कोई आदेश देने से पहले, 9 जून, 1978 के केंद्रीय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सरकार के आदेश क्रमांक जीएसआर 800 में उल्लिखित दूसरी शर्त के तहत केंद्र सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि आदेश 2004 के खंड 5 (10) में खाद्य पदार्थों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन का प्रावधान है और आदेश 2004 के खंड 11 (5) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट खुदरा जारी मूल्य पर खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का प्रावधान है। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि ये आदेश 2004 में आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को विनियमित करने के प्रावधान हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं बनाया जा सकता था। इस दलील के समर्थन में उन्होंने **जिला कलेक्टर, चित्तूर एवं अन्य बनाम चित्तूर जिला मूंगफली व्यापारी संघ (पूर्विक्त)** और **नागरिक उपभोक्ता एम मंथ बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2002) 5 एस.सीसी 466** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया।

39. जवाब में, श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 2004 अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2)(ग) और (घ) के तहत एक आदेश नहीं है, बल्कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण और बिक्री के लिए उचित मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा एक आदेश है और इसलिए आदेश 2004 बनाने से पहले केंद्रीय सरकार की कोई पूर्व सहमति आवश्यक नहीं थी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2)(ग) किसी भी आवश्यक वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता है उसे नियंत्रित करने के लिए एक आदेश का प्रावधान करती है, लेकिन आदेश 2004 किसी भी आवश्यक वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा या बेचा जाता है उसे नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। उन्होंने **के. रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, ए.आई.आर 1985 एस.सी. 660** और **महाराष्ट्र राज्य सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 1995 सप्ली. (3) एस.सी.सी. 475** के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो उनके उपर्युक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में थे कि आदेश 2004 अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत एक आदेश है और अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2)(ग) और (घ) के तहत एक आदेश नहीं है।

40. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ग) और (घ) जिन पर श्री तिवारी का तर्क आधारित है, उनका उद्धरण नीचे दिया गया है:

> **"3. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्ति -**
>
> (1) **यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने या उचित मूल्यों पर उनके न्यायसंगत वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, या भारत की रक्षा या सैन्य अभियानों के कुशल संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, उसमें उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकती है।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) **उप-धारा** (1) **द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके तहत बनाया गया एक आदेश प्रावधान कर सकता है** -

(क) xxx xxx xxx

(ख) xxx xxx xxx

(ग) किसी आवश्यक वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा या बेचा जा सकता है, उसे नियंत्रित करने के लिए;

(घ) किसी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग या उपभोग को लाइसेंस, परमिट या अन्यथा विनियमित करने के लिए।"

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी करने की सामान्य शक्ति प्रदान की गई है, यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने या न्यायसंगत वितरण और उचित मूल्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसा आदेश उसमें विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट विभिन्न मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) की व्याख्या करते हुए, **के रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (पूर्विक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है, बल्कि यह धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों का केवल उदाहरण है, जिसमें उन विषयों का उल्लेख नहीं है जिनके संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। उक्त दृष्टिकोण के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के प्रासंगिक कार्यों पर **संतोष कुमार जैन बनाम राज्य, ए.आई.आर 1951 एस.सी 201** में पहले के निर्णय में न्यायमूर्ति शास्त्री की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया है:

"यह स्पष्ट है कि धारा 3 की उपधारा (2) केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों से अधिक कोई अन्य शक्ति प्रदान नहीं करती है, क्योंकि यह "इसके अधीन किया गया आदेश" है जो उपधारा (2) में विशिष्ट रूप से प्रगणित विषयों में से किसी एक या अन्य के लिए उपबंध कर सकता है जो केवल दृष्टांतात्मक हैं, क्योंकि ऐसी गणना "उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।"

इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कनक तिवारी का तर्क कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार केवल इस बारे में राय बनाती है कि क्या किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने या उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए कोई आदेश दिया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाना चाहिए और ऐसी राय बनने के बाद अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत ही आदेश पारित किया जाना सही नहीं है। केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित कर सकती है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने का उपबंध किया गया है, यदि उसकी यह राय है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने अथवा उचित मूल्य पर उनका समतापूर्ण वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और यदि केन्द्रीय सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अधीन उक्त शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित करती है, तो राज्य सरकार भी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन समान आदेश पारित कर सकती है।

41. वास्तव में, अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्रीय आदेश क्रमांक जीएसआर 800 दिनांक 9 जून 1978 द्वारा अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे सौंपा गया था, राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थों के समान वितरण को सुनिश्चित करने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए आदेश 2004 बनाया प्रतीत होता है। आदेश 2004 का शीर्षक "छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004" है और यह उचित मूल्य की दुकानों द्वारा राशन कार्डधारियों को आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, केरोसिन और नमक आदि के वितरण के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है। आदेश 2004 के खंड 11 का शीर्षक "उचित मूल्य दुकानदार का दायित्व" है और खंड 11 के उप-खंड (5) में निम्नानुसार प्रावधान है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"11. उचित दर दुकानदार के दायित्व:-

(1) XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

(4) XXX XXX XXX

(5) उचित दर दुकानदार आवश्यक वस्तुओं को ऐसी मात्रा में तथा खुदरा निर्गम मूल्य पर बेचेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, उन उपभोक्ताओं को, जिनके राशन कार्ड उसकी दुकान पर पंजीकृत हैं। उचित दर दुकानदार बिना राशन कार्ड के कोई भी आवश्यक वस्तु नहीं बेचेगा।"

आदेश 2004 के खंड 11 का उपर्युक्त उपखंड (5), हमारी सुविचारित राय में, किसी आवश्यक वस्तु के क्रय या विक्रय मूल्य को नियंत्रित करने का प्रावधान नहीं है, बल्कि यह उचित मूल्य दुकान के स्वामी पर आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर बेचने का जवाब दावादायित्व या कर्तव्य आरोपित करने का प्रावधान है और यह प्रावधान आदेश 2004 के खंड 11 (5) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुलग्नक के पैरा 5 में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के मद्देनजर किया गया है कि उचित मूल्य दुकान के स्वामी

के जवाब दावादायित्वों और कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री शामिल होगी। आदेश 2004 के खंड 5 का उपखंड (10) आगे निम्नानुसार प्रावधान करता है:-

"5. उठाव, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण:-

(1) XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

(4) XXX XXX XXX

(5) XXX XXX XXX

(6) XXX XXX XXX

(7) XXX XXX XXX

(8) XXX XXX XXX

(9) XXX XXX XXX

(10) कलेक्टरों, जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और पीडीएस के अंतर्गत आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं, जिनमें खाद्यान्न, केरोसीन, चीनी और नमक शामिल हैं, के परिवहन में लगी संबंधित एजेंसियों के नामित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों और केरोसीन से संबंधित अन्य एजेंसियों के गोदामों से जारी किया जाता है, भंडारण, परिवहन या किसी अन्य चरण के दौरान घटिया गुणवत्ता के स्टॉक से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश 2004 के खण्ड 5 के उप खण्ड (10) में उक्त प्रावधान केवल यह प्रावधान करता है कि पीडीएस के अंतर्गत आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को भंडारण, पारगमन या किसी अन्य चरण के दौरान घटिया गुणवत्ता के स्टॉक से प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। आदेश 2004 के खण्ड 5 (10) में उक्त प्रावधान, हमारी सुविचारित राय में, अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अर्थ में लाइसेंस, परमिट या अन्यथा किसी आवश्यक वस्तु के परिवहन को विनियमित करने का प्रावधान नहीं है। आदेश 2004 के खण्ड 5 के उप खण्ड (10) में उक्त प्रावधान केवल यह प्रावधान करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगी संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि परिवहन की जा रही आवश्यक वस्तुओं को घटिया गुणवत्ता के स्टॉक से प्रतिस्थापित नहीं किया जाए आदेश 2004 के खंड 5 के उप-खंड (10) में यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खंड 4 (10) में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप किया गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक, जैसा कि

एफसीआई गोदामों से जारी किया जाता है, राशन कार्ड धारक को डिलीवरी होने तक घटिया गुणवत्ता के स्टॉक से प्रतिस्थापित नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार श्री तिवारी यह दलील देने में सही नहीं हैं कि आदेश 2004 अधिनियम की धारा 3 (2) के खंड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट मामलों के लिए प्रावधान करता है, जिस पर आवश्यक वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को विनियमित करने के लिए मूल्य नियंत्रित करता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कनक तिवारी के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आदेश 2004 के लिए केंद्र सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता थी और केंद्र सरकार की ऐसी पूर्व सहमति के अभाव में, यह अवैध और शून्य था।

42. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कनक तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (4) (ग) में प्रावधान है कि अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत होंगी तथा आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (5) में आगे प्रावधान है कि उचित मूल्य की दुकानें केवल उन अन्य सहकारी समितियों को आवंटित की जाएंगी जो 1 नवम्बर 2000 को या उससे पहले पंजीकृत हैं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 2004 में इन प्रावधानों का प्रभाव यह है कि उपभोक्ता सहकारी समितियां और अन्य सहकारी समितियां जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सहकारी अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं या 1 नवम्बर 2000 के बाद पंजीकृत हैं, उन्हें आदेश 2004 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ था और ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत अथवा 1 नवंबर 2000 के पश्चात पंजीकृत उपभोक्ता सहकारी समितियों सहित अन्य सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिका क्रमांक 1397/2005 में याचिकाकर्ताओं को छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 के पश्चात पंजीकृत किया गया था तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गई हैं तथा उन्होंने उचित मूल्य की दुकानें चलाने के लिए राज्य सरकार के साथ अनुबंध भी किया है, लेकिन आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (4) (ग) एवं (5) में पूर्वोक्त प्रावधानों के कारण याचिकाकर्ताओं को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका क्रमांक 1397/2005 के पैरा 6: vii में आदेश 2004 के खण्ड 9 के उप-खण्ड (4) (ग) और (5) में उक्त प्रावधानों को चुनौती दी है, राज्य सरकार द्वारा उक्त रिट याचिका क्रमांक 1397/2005 में कोई जवाब दावा दाखिल नहीं किया गया है।

43. हमने उक्त रिट याचिका क्रमांक 1397/2005 में लिए गए कथनों और आधारों का अवलोकन किया है और हम पाते हैं कि यद्यपि आदेश 2004 के खण्ड 9 के उप-खण्ड (4) (ग) और (5) के प्रावधानों को उक्त रिट याचिका के पैरा 6: vii में अवैधानिक और मनमाना बताते हुए चुनौती दी गई है, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उक्त चुनौती पर कोई जवाब दावा दाखिल नहीं किया गया है। आदेश 2004 के खण्ड 9 के उक्त उपखण्ड (4) (ग) को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोक्ता सहकारी समितियां जो आदेश 2004 के अंतर्गत उचित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए पात्र होंगी, उन्हें छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत होना होगा। इसलिए, उपभोक्ता सहकारी समितियां जो छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, आदेश 2004 के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के ऐसे आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपने जवाब दावा में ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया गया है कि उपभोक्ता सहकारी समितियां जो छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, आदेश 2004 के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए पात्र क्यों नहीं होंगी। इसी प्रकार, आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (5) को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य सहकारी समितियां भी उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए केवल तभी पात्र होंगे यदि वे 1 नवंबर 2000 को या उससे पहले पंजीकृत हों, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद पंजीकृत होने पर वे आदेश 2004 के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपने जवाब दावा में कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया है कि 1 नवंबर 2000 के बाद पंजीकृत अन्य सहकारी समितियां उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए पात्र क्यों नहीं होंगी। इसलिए, उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए आदेश 2004 के खंड 9 के उप-खंड (4) (ग) और (5) में सहकारी समितियों को वर्गीकृत करने में अपनाए गए अंतर और आदेश 2004 के खंड 9 के उप-खंड (4) (ग) और (5) में उक्त प्रावधानों के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, जो हमारे विचार से, मनमाना, विभेदकारी और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समान संरक्षण खंड का उल्लंघन हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

44.परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि:-

(i) आदेश 2004 के खंड 9 (1) में प्रावधान है कि निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें जारी नहीं रखी जाएंगी तथा आदेश के प्रारंभ से छह माह के भीतर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें रद्द कर दी जाएंगी, जो विभेदकारी नहीं हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(ii) याचिकाकर्ता जो निजी व्यक्ति हैं तथा राज्य सरकार के बीच अनुबंध, जहां तक याचिकाकर्ता जो निजी व्यक्ति हैं, द्वारा उचित मूल्य की दुकानें चलाने का प्रावधान है, आदेश 2004 के लागू होने की तिथि से छह माह की अवधि की समाप्ति के बाद विधि विरुद्ध हो गया है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(iii) आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (4) (ग) एवं (5) के प्रावधान, जहां तक वे यह प्रावधान करते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समितियां जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं अथवा जो 1 नवम्बर 2000 के पश्चात पंजीकृत हुई हैं, को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(iv) आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (3) एवं (4) में प्राथमिक साख सहकारी समितियों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा आदेश 2004 के अन्तर्गत केवल "अन्य सहकारी समितियों" में से उन समितियों को ही उचित मूल्य की दुकानें आवंटित

की जा सकेंगी, जिन्हें छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानें चलाने की अनुमति है।

(v) सहकारी समितियां जो आदेश 2004 के पूर्व उचित मूल्य की दुकानें चला रही हैं, वे सहकारी समितियों और राज्य सरकार के बीच हुए करार के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों का संचालन उस पूर्ण अवधि तक करती रहेंगी जिसके लिए करार किया गया है और उनके पक्ष में किया गया आवंटन केवल उक्त करार के अनुसार ही रद्द किया जा सकेगा।

(vi) आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (3) और (4) में लैम्पस, ग्राम पंचायतों, महिला स्वयं सहायता समूहों और वन सुरक्षा समितियों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने के प्रावधान वैध हैं, लेकिन आदेश 2004 के खण्ड 9 के उपखण्ड (3) और (4) में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के मामले में कुछ निर्दिष्ट एजेंसियों के पक्ष में आरक्षण और प्राथमिकता प्रदान करने के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत हैं।

(vii) आदेश 2004 में निर्दिष्ट एजेंसियों को निर्दिष्ट एजेंसियों की किसी भी श्रेणी के पक्ष में किसी भी प्राथमिकता या आरक्षण के बिना उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए विचार किया जाना है और अधिनियम की धारा 3 और आदेश 2004 में इंगित उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं कि उचित मूल्य की दुकान आदेश 2004 में निर्दिष्ट एक एजेंसी को आवंटित की जाएगी जो किसी विशेष क्षेत्र में उचित मूल्य पर राशन कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं को सर्वोत्तम तरीके से वितरित कर सकती है।

(viii) खंड 9 का उप खंड (3) (ग) जहां तक यह आईटीडीपी क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में सभी बिक्री व्यक्तियों की नियुक्ति स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीपीएल परिवारों से करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है।

(ix) आदेश 2004 के खंड 9 का उप खंड (7) जहां तक यह अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में बिक्री करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति केवल अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों में से करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है।

रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त घोषणाओं और निर्देशों के साथ किया जाता है और न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur